

इस्लाम में कुरआन

अलहसनैन इस्लामी नैटवर्क

मुसलमानो के दरमियान कुरआने मजीद की क्या अहमियत है?

अ. कुरआने मजीद ज़िन्दगी के मजमूई प्रोग्राम की ज़मानत देता है।

आ. कुरआने मजीद नबुव्वत की सनद है।

अ. कुरआने मजीद इंसानी ज़िन्दगी के मजमूई प्रोग्राम की ज़मानत देता है।

चुँकि दीने इस्लाम जो हर दूसरे दीन व मज़हब से बढ़ कर इंसानी ज़िन्दगी की सआदत और खुशहाली की ज़मानत देता है, कुरआने मजीद के ज़रिये ही मुसलमानों तक पहुँचा है। इसी तरह इस्लाम के दीनी उसूल जो ईमानी, ऐतेकादी, अखलाकी और अमली क़वानीन की कड़ियाँ हैं, उन सब की बुनियाद कुरआने मजीद है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: इसमें शक नही कि यह किताब कुरआने मजीद उस राह की हिदायत करता है जो सबसे ज़्यादा सीधी है। (सूरह बनी इसराईल आयत 9) और फिर फ़रमाता है: और हमने तुम पर किताब (कुरआने

मजीद) नाज़िल की हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान करती है और उस पर रौशनी डालती है।

(सूरह नहल आयत 89)

पस वाज़ेह है कि कुरआने मजीद में दीनी अक्काइद के उसूल, अखलाकी फ़ज़ाइल और अमली क़वानीन का मजमूआ बहुत ज़्यादा आयात में बयान किया गया है कि उन आयतों को यहाँ दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है।

दूसरा मुफ़स्सल बयान

मुनदरजा बाला चंद तफ़सीलात में ग़ौर करने के बाद इंसानी ज़िन्दगी के प्रोग्रामों पर मबनी जो कुरआने मजीद में लिखे हुए हैं, उनके हकीकी मअना को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

1. इंसान अपनी ज़िन्दगी में कामयाबी, खुशहाली और सआदत के अलावा और कोई मक़सद नहीं रखता। (खुशहाली और सआदत ज़िन्दगी की एक ऐसी सूरत है कि इंसान हमेशा उस की ख्वाहिश और आरजू रखता है जैसे आज़ादी, फ़लाह व बहबूद और ज़रिया ए मआश में ज़ियादती वग़ैरह)

और कभी कभी ऐसे अशखास नज़र आते हैं जो अपनी सआदत और खुशहाली को नज़र अंदाज़ कर देते हैं जैसे बाज़ औकात एक शख्स खुदकुशी करके अपनी ज़िन्दगी को खत्म कर लेता है या ज़िन्दगी की दूसरी लज़ज़तों को चश्मपोशी कर लेता है, अगर ऐसे लोगों की रूही हालत पर गौर करें तो देखेंगे कि यह लोग अपनी फिक्र और नज़रिये के मुताबिक़ खास वुजूहात में ज़िन्दगी की सआदत को परखते और जाँचते हैं और उन्हीं वुजूहात और अनासिर में सआदत समझते हैं। जैसे जो शख्स खुदकुशी करता है वह ज़िन्दगी की सख्तियों और मुसीबतों की वजह से अपने आप को मौत के मुँह में तसव्वुर करते हैं और जो कोई ज़ोहद व रियाज़त में मशगूल हो कर ज़िन्दगी की लज़ज़तों को अपने लिये हराम कर लेता है वह अपने नज़रिये और तरीके में ही ज़िन्दगी की सआदत को महसूस करता है।

पस हर इंसान अपनी ज़िन्दगी में सआदत और कामयाबी को हासिल करने के लिये जिद्दो जहद करता है ख्वाह वह अपनी हकीकी सआदत की तशखीस में ठीक हो या ग़लत।

2. इंसानी ज़िन्दगी की जिद्दो जहद हरगिज़ प्रोग्राम के बग़ैर अमल में नहीं आती, यह बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ मसला है और अगर किसी वक़्त यह मसला

इंसान की नज़रों से छिपा रहता है तो वह बार बार की तकरार की वजह से है, क्योंकि एक तरफ़ तो इंसान अपनी ख्वाहिश और अपने इरादे के मुताबिक़ काम करता है और जब तक मौजूदा वुजूहात के मुताबिक़ किसी काम को ज़रूरी नहीं समझते उसको अंजाम नहीं देता यानी किसी काम को अपने अक़ल व शुऊर के हुक़म से ही करता है और जब तक उसकी अक़ल और उसका ज़मीर इस काम की इजाज़त नहीं देते, उस काम को शुरू नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ़ जिन कामों को अपने लिये अंजाम देता है उनसे मक़सद अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है लिहाज़ा उसके किरदार व अफ़आल में ब राहे रास्त एक ताअल्लुक़ होता है।

खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, जाना, आना वगैरह सब काम एक खास अंदाज़े और मौक़ा महल के मुताबिक़ अंजाम पाते हैं। कहीं यह काम ज़रूरी होते हैं और कहीं ग़ैर ज़रूरी। एक वक़्त में मुफ़ीद और दूसरे वक़्त में ज़रर रसाँ या ग़ैर मुफ़ीद। लिहाज़ा हर काम उस अक़ल व फ़िक़र और इंसानी शुऊर के ज़रिये अंजाम पाते हैं जो आदमी में मौजूद है। इसी तरह हर छोटा और बड़ा काम उसी कुल्ली प्रोग्राम के मुताबिक़ करता है।

हर इंसान अपने इनफ़ेरादी कामों में एक मुल्क की मानिन्द है जिसके बाशिन्दे मख़सूस क़वानीन, रस्मो रिवाज में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और उस मुल्क की मुख़्तार

और हाकिम ताकतों का फ़र्ज़ है कि सबसे पहले अपने किरदार को उस मुल्क के बाशिन्दों के मुताबिक़ बनायें और फिर उनको नाफ़िज़ करें।

एक मुआशरे की समाजी सर गरमियाँ भी इनफ़ेरादी सर गरमियों की तरह होती हैं लिहाज़ा हमेशा की तरह एक तरह के क़वानीन, आदाब व रुसूम और उसूल जो अकसरियत के लिये काबिले क़बूल हों, उस समाज में हाकिम होने चाहिये। वर्ना समाज के अजज़ा अफ़रा तफ़री और हरज व मरज के ज़रिये बहुत थोड़ी मुद्दत में दरहम बरहम हो जायेंगे।

बहरहाल अगर समाज मज़हबी हो तो हुकूमत भी अहकामे मज़हब के मुताबिक़ होगी और अगर समाज ग़ैर मज़हबी और मुतमद्दिन होगा तो उस समाज की सारी सर गरमियाँ क़ानून के तहत होगीं। अगर समाज ग़ैर मज़हबी और ग़ैर मुतमद्दिन होगा तो उसके लिये मुतलकुल एनानऔर आमेराना हुकूमत ने जो क़ानून बना कर उस पर ठूँसा होगा या समाज में पैदा होने वाली रस्म व रिवाज और किस्म किस्म के अक्काइद के मुताबिक़ ज़िन्दगी बसर करेगा।

पस हर हाल में इंसान अपनी इनफ़ेरादी और समाजी सर गरमियों में एक ख़ास मक़सद रखने के लिये नागुज़ीर है लिहाज़ा अपने मक़सद को पाने के लिये

मुनासिब तरीका ए कार इख्तियार करने और प्रोग्राम के मुताबिक काम करने से हरगिज़ बेनियाज़ नही हो सकता।

कुरआने मजीद भी इस नज़रिये की ताईद व तसदीक़ फ़रमाता है: तुम में से हर शख्स के लिये एक खास मक़सद है जिसके पेशे नज़र काम करते हो पस हमेशा अच्छे कामों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कोशिश करो ता कि अपने आला मक़सद को हासिल कर सको।

(सूरह बकरा आयत 148)

बुनियादी तौर पर कुरआने मजीद में दीन का मतलब तरीका ए ज़िन्दगी है और मोमिन व काफ़िर हत्ता कि वह लोग जो ख़ालिक (ख़ुदावंद) के मुकम्मल तौर पर मुन्किर हैं वह भी दीन के बग़ैर नही रह सकते हैं क्योकि इंसानी ज़िन्दगी एक खास तरीके के बग़ैर नही रह सकती ख़वाह वह तरीका नबुव्वत और वही की तरफ़ से हो या बनावटी और मसनुई क़ानून के मुताबिक़, अल्लाह तआला उन सितमगारों के बारे में जो ख़ुदाई दीन से दुश्मनी रखते हैं और किसी भी तबके से ताअल्लुक़ रखते हों फ़रमाता हैं:

जो खुदा की राह से लोगों को हटाते और रोकते हैं और उसमें जो फ़ितरी ज़िन्दगी की राह है (ख़्वाह मखाह) उसको तोड़ मोड़ कर अपने लिये अपनाते हैं।
(सूरह आराफ़ आयत 45)

3. ज़िन्दगी का बेहतरीन और हमेशगी तरीक़ वह है जिसकी तरफ़ इंसानी फ़ितरत रहनुमाई करे, न वह कि जो एक फ़र्द या समाज के अहसासात से पैदा हुआ हो। अगर फ़ितरत के हर एक जुज़ का गहरा और बग़ौर मुतालआ करें तो मालूम होगा कि हर जुज़ ज़िन्दगी का एक मक़सद और गरज़ व ग़ायत लिये हुए है जो अपनी पैदाईश से लेकर उस ख़ास मक़सद की तरफ़ मुतवज्जे है और अपने मक़सद को पाने के लिये नज़दीक तरीन और मुनासिब तरीन राह की तलाश में है, यह जुज़ अपने अंदरूनी और बेरूनी ढाँचें में एक ख़ास साज़ व सामान से आरास्ता है जो उसके हकीकी मक़सूद और गुनागूँ सर गरमियों का सर चश्मा शुमार होता है। हर जानदार और बेजान चीज़ फ़ितरत की यही रवय्या और तरीका कार फ़रमा है।

जैसे गेंहू का पौधा अपनी पैदाईश के पहले दिन से ही जब वह मिट्टी से अपनी सर सब्ज़ और हरी भरी पत्ती के साथ दाने से बाहर निकलता है तो वह (शुरु से

ही) अपनी फ़ितरत की तरफ़ मुतवज्जे होता है यानी यह कि वह एक ऐसे पौधा है जिसके कई खोशे हैं और अपनी फ़ितरी ताक़त के साथ उनसुरी अजज़ा को ज़मीन और हवा से ख़ास निस्बत से हासिल करता है और अपने वुजूद की हिस्सा बनाते हुए दिन ब दिन बढ़ता और फैलता रहता है और हर रोज़ अपनी हालत को बदलता रहता है। यहाँ तक कि एक कामिल पौधा बन जाता है जिसकी बहुत सी शाखें और खोशे होते हैं फिर उस हालत को पहुच कर अपनी रफ़्तार और तरक्की को रोक लेता है।

एक अखरोट के पेड़ का भी ब गौर मुतालआ करें तो मालूम होगा कि वह भी अपनी पैदाईश के दिन से लेकर एक ख़ास मक़सद और हदफ़ की तरफ़ मुतवज्जे है यानी यह कि वह एक अखरोट का पेड़ है जो तनू मंद और बड़ा है लिहाज़ा अपने मक़सद तक पहुचने के लिये अपने ख़ास और मुनासिब तरीक़े से ज़िन्दगी की राह को तय करता है और उसी तरह अपनी ज़रूरियाते ज़िन्दगी को पूरा करता हुआ अपने इंतेहाई मक़सद की तरफ़ बढ़ता रहता है। यह पेड़ गेंहू के पौधे का रास्ता इख़्तियार नहीं करता जैसा कि गेंहू का पौधा भी अपने मक़सद को हासिल करने में अखरोट के पेड़ का रास्ता इख़्तियार नहीं करता।

तमाम कायनात और मखलूक़ात जो इस ज़ाहिरी दुनिया को बनाती है। उसी क़ानून के तहत अमल करती हैं और कोई वजह नहीं है कि इंसान इस क़ानून और क़ायदे से मुसतसना हो। (इंसान अपनी ज़िन्दगी में जो मक़सद और गरज़ व ग़ायत रखता हो उसकी सआदत उसी मक़सद को पाने के लिये है और वह अपने मुनासिब साज़ व सामान के साथ अपने हदफ़ तक पहुचने की तगो दौ में मसरुफ़ है।) बल्कि इंसानी ज़िन्दगी के साज़ व सामान की बेहतरीन दलील यह है कि वह भी दूसरी सारी कायनात की तरह एक ख़ास मक़सद रखता है जो उसकी ख़ुश बख़्ती और सआजत की ज़ामिन है और अपने पूरे वसायल और कोशिश के साथ इस राहे सआदत तक पहुचने की जिदो जहद करता है।

लिहाज़ा जो कुछ ऊपर अर्ज़ किया गया है वह ख़ास इंसानी फ़ितरत और आफ़रिनिशे जहान के बारे में है कि इंसान भी सी कायनात का एक अटूट अंग है। यही चीज़ इंसान को उसकी हक़ीक़ी सआदत की तरफ़ रहनुमाई करती है। इसी तरह सबसे अहम पायदार और मज़बूत क़वानीन जिन पर चलना ही इंसानी सआदत की ज़मानत है, इंसान की रहनुमाई करते हैं।

गुज़श्ता बहस की तसदीक़ में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज़ और हर मख्लूक को एक खास सूरत (फ़ितरत) अता फ़रमाई, फिर हर चीज़ को सआदत और खास मक़सद की तरफ़ रहनुमाई की।

(सूरह ताहा आयत 50)

फिर फ़रमाता है:

वह खुदा जिसने मख्लूक के अजज़ा के जमा करके (दुनिया को) बनाया और वह खुदा जिसने हर चीज़ का खास अंदाज़ मुक़रर किया, फिर उसको हिदायत फ़रमाई।

(सूरह आला आयत 2,3)

फिर फ़रमाता है:

क़सम अपने नफ़स की और जिसने उसको पैदा किया और फिर उसने नफ़स को बदकारी और परहेज़गारी का रास्ता बताया। जिस शख्स ने अपने नफ़स की अच्छी तरह परवरिश की, उसने निजात हासिल की और जिस शख्स ने अपने नफ़स को आलूदा किया वह तबाह व बर्बाद हो गया।

(सूरह शम्स आयत 7,10)

फिर खुदा ए तआला फ़रमाता है: अपने (रुख) आपको दीन पर उसतुवार कर, पूरी तवज्जो और तहे दिल से दीन को क़बूल कर, लेकिन ऐतेदाल पसंदी को अपनी पेशा बना और इफ़रात व तफ़रीत से परहेज़ कर, यही खुदा की फ़ितरत है और खुदा की फ़ितरत में तब्दीली पैदा नहीं होती। यही वह दीन है जो इंसानी ज़िन्दगी का इंतेज़ाम करने की ताक़त रखता है। (मज़बूत और बिल्कुल सीधा दीन है।)

(सूरह रूम आयत 30)

फिर फ़रमाता है:

दीन और ज़िन्दगी का तरीका खुदा के सामने झुकने में ही है। उसके इरादे के सामने सरे तसलीम को ख़म करने है यानी उसकी कुदरत और फ़ितरत के सामने जो इंसान को एक ख़ास क़ानून की तरफ़ दावत देता है।

(सूरह आले इमरान आयत 19)

और दूसरी जगह फ़रमाता है:

जो कोई दीने इस्लाम के बग़ैर यानी खुदा के इरादे के बग़ैर किसी और दीन की तरफ़ रुजू करे तो उसका वह दीन या तरीका हरगिज़ क़ाबिले क़बूल नहीं होगा।

(सूरह आले इमरान आयत 85)

मुनदरेजा बाला आयत और ऐसी ही दूसरी आयात जो इस मज़मून की मुनासेबत में नाज़िल हुई है उनका नतीजा यह है कि खुदा ए तआला अपनी हर मखलूक और मिन जुमला इंसान को एक खास सआदत और फ़ितरी मक़सद की तरफ़ यानी अपनी फ़ितरत की तरफ़ रहनुमाई करता है और इंसानी ज़िन्दगी के लिये हकीक़ी और वाक़ई रास्ता वही है जिसकी तरफ़ उस (इंसान) की खास फ़ितरत दावत करती है लिहाज़ा इंसान अपनी फ़रदी और समाजी ज़िन्दगी में क़वानीन पर कारबंद है क्यो कि एक हकीक़ी और फ़ितरी इंसान की तबीयत उसी की तरफ़ रहनुमाई करती है न कि ऐसे इंसानो को जो हवा व हवस और नफ़से अम्मारा से आलूदा हों और अहसासात के सामने दस्त बस्ता असीर हों।

फ़ितरी दीन का तक्राज़ा यह है कि इंसानी वुजूद का निज़ाम दरहम बरहम न होने पाए और हर एक (जुज़) को हक़ बखूबी अदा हो लिहाज़ा इंसानी वुजूद में जो मुख्तलिफ़ और मुताज़ाद निज़ाम जैसे मुख्तलिफ़ अहसासाती ताक़तें अल्लाह तआला ने बख़शी हैं वह मुनज़ज़म सूरत में मौजूद हैं, यह सब कुव्वतें एक हद तक दूसरे के लिये मुज़ाहिमत पैदा न करें, उनको अमल का इख़्तियार दिया गया है।

और आख़िर कार इंसान के अंदर अक़ल की हुकूमत होनी चाहिये न कि ख्वाहिशाते नफ़्सानी और अहसासात व जज़्बात का ग़लबा और समाज में इंसानों

के हक व सलाह पर मबनी हुकूमत कायम हो न कि एक आमिर और ताकतवर इंसान की ख्वाहिशात और हवा व हवस के मुताबिक और नही अकसरियत अफ़राद की ख्वाहिशात के मुताबिक, अगरचे वह हुकूमत एक जमाअत या गिरोह की सलाह और हकीकी मसलहत के खिलाफ़ ही क्यो न हो।

मुनजरेजा बाला बहस से एक और नतीजा अख़्ज़ किया जा सकता है और वह यह है कि तशरीई (शरअन व क़ानूनन) लिहाज़ से हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है और उसके बग़ैर हुकूमत किसी और की हक़ नही है।

सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ाते बे हमता को है

हुक़म राँ है एक वही बाक़ी बुताने आज़री (इक़बाल)

कि फ़रायज़, क़वानीन, शरई क़वानीन बनाए या तअय्युन करे, क्योकि जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है सिर्फ़ नही क़वानीन और क़वाइद इंसानी ज़िन्दगी के लिये मुफ़ीद हैं जो उसके लिये फ़ितरी तौर पर मुअय्यन किये गये हों यानी अंदरूनी या बेरूनी अनासिर व अवामिल और इलल इंसान को उन फ़रायज़ की अंजाम दही की दावत करें और उसको मजबूर करें जैसे उनके अंजाम देने में खुदा का हुक़म शामिल हो क्यो कि जब हम कहते हैं कि खुदा वंदे आलम इस काम को

चाहता है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने इस काम को अंजाम देने का तमाम शरायत और वुजूहात को पहले से पैदा किया हुआ है लेकिन कभी कभी यह वुजूहात और शरायत ऐसी होती हैं कि किसी चीज़ की जबरी पैदाईश की मुजिब और सबब बन जाती है जैसे रोज़ाना कुदरती हवादिस का वुजूद में आना और इस सूरत में खुदाई इरादे को तकवीनी इरादा कहते हैं और कभी यह वुजूहात व शरायत इस किस्म की हैं कि इंसान अपने अमल को इख्तियार और आज़ादी के साथ अंजाम देता है जैसे खाना, पीना वगैरह और इस सूरत में उस अमल को तशरीई इरादा कहते हैं। अल्लाह तआला अपने कलाम में कई जगह पर इरशाद फ़रमाता है:

खुदा के सिवा कोई और हाकिम नहीं है और हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते हैं।

(सूरह युसुफ़ आयत 40, 67)

इस तमहीद के वाज़ेह हो जाने के बाद जान लेना चाहिये कि कुरआने मजीद इन तीन तमहीदों के पेशे नज़र कि इंसान अपनी ज़िन्दगी में एक खास मक़सद और गरज़ व ग़ायत रखता है। (यानी ज़िन्दगी की सआदत) जिसको अपनी पूरी ज़िन्दगी में हासिल करने के लिये जिद्दो जेहद और कोशिश करता है और यह कोशिश बगैर किसी प्रोग्राम के नतीजे में नहीं होगी। लिहाज़ा उस प्रोग्राम को भी

खुदा की किताबे फ़ितरत और आफ़रिनिश में ही पढ़ना चाहिये। दूसरे लफ़्ज़ों में उसको खुदाई तालीम के ज़रिये ही सीखा जा सकता है।

क़ुरआने मजीद ने उन तमहीदों के पेशे नज़र इंसानी ज़िन्दगी के प्रोग्राम की बुनियाद इस तरह रखी है:

क़ुरआने मजीद ने अपने प्रोग्राम की बुनियाद खुदा शिनासी पर रखी है और इसी तरह मा सिल्लल्लाह से बेगानगी को शिनाख़ते दीन की अक्वलीन बुनियाद करार दिया है।

इस तरह खुदा को पहचनवाने के बाद मआद शिनासी (रोज़े क़यामत पर ऐतेक़ाद जिस दिन इंसान के अच्छे बुरे कामों का बदला और एवज़ दिया जायेगा।) का नतीजा हासिल होता है और उसको एक दूसरा उसूल बनाया। उसके बाद मआद शिनासी से पैयम्बर शिनासी का नतीजा हासिल किया, क्योंकि अच्छे और बुरे कामों का बदला, वही और नबूवत के ज़रिये इताअत, गुनाह, नेक व बद कामों के बारे में पहले से बयान शुदा इत्तेला के बग़ैर नहीं दिया जा सकता, जिसके बारे में आईन्दा सफ़हात में रौशनी डालेंगे।

इस मसले को भी एक अलग उसूल के ज़रिये बयान फ़रमाया, मुनजरजा बाला तीन उसूलों यानी मा सिवलल्लाहा की नफ़ी पर ईमान, नबूवत पर ऐतेकाद और मआद पर ईमान को देने इस्लाम के उसूल में कहा है।

उसेक बाद दूसरे दर्जे पर अखलाके पसंदीदा और नेक सिफ़ात जो पहले तीन उसूलों के मुनासिब हों और एक हकीकत पसंद और बा ईमान इंसान को उन सिफ़ाते हमीदा से मुत्तसिफ़ और आरास्ता होना चाहिये, बयान फ़रमाया। फिर अमली क़वानीन जो दर अस्ल हकीकती सआदत के ज़ामिन और अखलाके पसंदीदा को जन्म दे कर परवरिश देते हैं बल्कि उस से बढ़ कर हक़ व हकीकत पर मबनी ऐतेकादात और बुनियादी उसूलों को तरक्की व नश व नुमा देते हैं, उनकी बुनियाद डाली और उसके बारे में वज़ाहत फ़रमाई।

क्योकि शख्स जिन्सी मसायल या चोरी, खयानत, ख़ुर्द बुर्द और धोखे बाज़ी में हर चीज़ को जायज़ समझता है उससे किसी क्रिस्म की पाकीज़गी ए नफ़स जैसी सिफ़ात की हरगिज़ तवक्को नही रखी जा सकती या जो शख्स माल व दौलत जमा करने का शायक़ और शेफ़ता है और लोगों के माली हुक्क और कर्ज़ों की अदायगी की तरफ़ हरगिज़ तवज्जो नही करता। वह कभी सखावत की सिफ़त से मुत्तसिफ़ नही हो सकता या जो शख्स ख़ुदा तआला की इबादत नही करता और

हफ्तो बल्कि महीनों तक खुदा की याद से गाफिल रहता है वह कभी खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान और ऐसे ही एक आबिद की सिफ़ात रखने से कासिर है।

पस पसंदीदा अखलाक़, मुनासिब आमाल व अफ़आल के सिलसिले से ही ज़िन्दा रहते हैं। चुनाँचे पसंदीदा अखलाक़, बुनियादी ऐतेकादात की निस्बत यही हालत रखते हैं जैसे जो शक़्स किब्र व गुरुर, खुद गरज़ी और खुद पसंदी के सिवा कुछ नहीं जानता तो उससे खुदा पर ऐतेकाद और मक़ामे रूबूबियत के सामने खुजू व खुशू की तवक्को नहीं रखी जा सकती। जो शख़्स तमाम उम्र इंसाफ़ व मुरव्वत और रहम व शफ़क़त व मेहरबानी के मअना से बेखबर रहा है वह हरगिज़ रोज़े क़यामत सवाल व जवाब पर ईमान नहीं रख सकता।

खुदा वंदे आलम, हक़क़ानी ऐतेकादात और पसंदीदा अखलाक़ के सिलसिले में खुद ईमान और ऐतेकाद से वाबस्ता है, इस तरह फ़रमाता है:

खुदा वंदे तआला पर पुख़्ता और पाक ईमान बढ़ता ही रहता है और अच्छे कामों को वह खुद बुलंद फ़रमाता है यानी ऐतेकादात को ज़्यादा करने में मदद करता है।

(सूरह फ़ातिर आयत 10)

और खुसूसन अमल पर ऐतेकाद के सिलसिले में अल्लाह तआला यूँ फ़रमाता है:

उसके बाद आखिर कार जो लोग बुरे काम करते थे उनका काम यहाँ तक आ पहुचा कि खुदा की आयतों को झुटलाते थे और उनके साथ मसखरा पन करते थे।

(सूरह रूम आयत 10)

कुरआने मजीद हकीकी इस्लाम की बुनियादों को तीन हिस्सों में तकसीम करता है

मुखतसर यह कि कुरआने मजीद हकीकी इस्लाम की बुनियादों को कुल्ली तौर पर मुनजरता ज़ैल तीन हिस्सों में तकसीम करता है:

1. इस्लामी उसूल व अक्रायद जिन में दीन के तीन उसूल शामिल हैं: यानी तौहीद, नबूवत और क़यामत और इस क़िस्म के दूसरे फ़रई अक्रायद जैसे लौह, कज़ा, क़दर, मलायका, अर्श, कुर्सी, आसमान व ज़मीन की पैदाईश वग़ैरह।

2. पसंदीदा अखलाक

3. शरई अहकाम और अमली क़वानीन जिनके मुतअल्लिक कुरआने मजीद ने कुल्ली तौर पर बयान फ़रमाया है और उनकी तफ़सीलात और जुज़ईयात को पैग़म्बरे अकरम (स) ने बयानात या तौज़ीहात पर छोड़ दिया है और पैग़म्बरे अकरम (स) ने भी हदीसे सक़लैन के मुताबिक़ जिस पर तमाम इस्लामी फ़िरके मुत्तफ़िक़ हैं और मुसलसल उन अदाहीस को नक़ल करते रहे हैं, अहले बैत (अ) को अपना जानशीन बनाया है।[1]

ब. कुरआने मजीद नबूवत की सनद है।

कुरआने मजीद चंद जगह वज़ाहत से बयान फ़रमाता है कि यह (कुरआन) ख़दा का कलाम है यानी यह किताब उनही मौजूदा अल्फ़ाज़ के साथ अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हुई है और पैग़म्बरे इस्लाम (स) ने भी इनही अल्फ़ाज़ में इसको बयान फ़रमाया है।

इस मअना को साबित करने के लिये कि कुरआने मजीद खुदा का कलाम है और किसी इंसान का कलाम नही, बार बार बहुत ज़्यादा आयाते शरीफ़ा में इस मौजू पर जोर दिया गया है और कुरआने मजीद को हर लिहाज़ से एक मोजिज़ा कहा गया है जो इंसानी ताक़त और तवानाई से बहुत बरतर है।

जैसा कि खुदा ए तआला इरशाद फ़रमाता है:

या कहते हैं कि पैग़म्बरे अकरम (स) ने खुद कुरआन को बना (घड़) कर उसे खुदा से मंसूब कर दिया है, यही वजह है कि वह उस पर ईमान नही लाते। पस अगर वह ठीक कहते हैं तो उस (कुरआन) की तरह इबादत का नमूना लायें (बनायें)।

(सूरह तूर आयत 33, 34)

और फिर फ़रमाता है:

ऐ रसूल कह दो कि अगर (सारे जहान के) आदमी और जिन इस बात पर इकठ्ठे और मुत्तफ़िक़ हों कि कुरआन की मिस्ल ले आयें तो (नामुम्किन) उसके बराबर नही ला सकते अगरचे (उस कोशिश में) वह एक दूसरे की मदद भी करें।

(सूरह बनी इसराईल आयत 88)

और फिर फ़रमाता है:

क्या यह लोग कहते हैं कि उस शख्स (तुम) ने उस (कुरआन) को अपनी तरफ़ से घड़ लिया है तो तुम उन से साफ़ साफ़ कह दो कि अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो (ज़्यादा नहीं) ऐसी ही दस सूरतें अपनी तरफ़ से घड़ के ले आओ।

(सूरह हूद आयत 13)

और फिर फ़रमाता है:

आया यह लोग कहते हैं कि इस कुरआन को रसूल ने झूट मूठ बना कर खुदा से मंसूब कर दिया है, पस ऐ रसूल उन से कह दो कि उसकी मानिन्द सिर्फ़ एक ही सूरह लिख कर ले आएँ।

(सूरह युनुस आयत 38)

और फिर (उन लोगों का) पैग़म्बरे अकरम (स) से मुक़ाबला करते हुए फ़रमाता है:

और जो चीज़ (कुरआन) हम ने अपने बंदे पर नाज़िल की है अगर तुम्हे उसमें शक व शुब्हा है तो ऐसे इंसान की तरह जो लिखा पढ़ा नहीं और जाहिलियत के

माहौल में उस की नश व नुमा हुई है, इस तरह का एक कुरआनी सूह लिख कर ले आओ।

(सूह बकरा आयत 23)

और फिर इखितलाफ और तज़ाद न रखने के मुतअल्लिक बराबरी और मुक़ाबला करते हुए फ़रमाया है:

आया यह लोग कुरआन पर ग़ौर नहीं करते और अगर यह कुरआन ख़ुदा के अलावा किसी और की तरफ़ से नाज़िल हुआ होता तो उसमें बहुत ज़्यादा इखितलाफ़ पाये जाते क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ में तग़य्युर और तरक्की पज़ीरी के कानून में शामिल है और वह इखितलाफ़ अजज़ा और अहवाल से मुबर्रा नहीं होती और अगर कुरआन इंसान का बनाया हुआ होता तो जैसा कि तेईस साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा तो यह कुरआन) इखितलाफ़ात और तज़ादात से मुबर्रा नहीं हो सकता था और इस तरह हरगिज़ यकसाँ न होता।

(सूह निसा आयत 82)

कुरआने मजीद जो इन फ़ैसला कुन और पुख़्ता अंदाज़ से ख़ुदा का कलाम होने का ऐलान और उसका सबूत फ़राहम करता है। अक्वल से लेकर आखिर तक साफ़ तौर पर हज़रत मुहम्मद (स) का अपने रसूल और पैग़म्बर के तौर पर तआरुफ़

कराता है और इस तरह आँ हज़रत (स) के नबूवत की सनद लिखता है। इसी बेना पर कई बार खुदा के कलाम में पैग़म्बरे अकरम को हुक्म दिया जाता है कि अपनी नबूवत व पैग़म्बरी के सबूत में खुदा की शहादत यानी कुरआने मजीद की रौ से अपनी नबूवत का ऐलान करें:

ऐ नबी कह दें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान, मेरी नबूवत और पैग़म्बरी के मुतअल्लिक खुद खुदा की शहादत काफ़ी है।

(सूरह रअद आयत 43)

एक और जगह (कुरआने मजीद) में खुदा वंदे करीम की शहादत के अलावा फ़रिशतों की शहादत भी है:

लेकिन खुदा वंदे तआला ने जो चीज़ तुझ पर नाज़िल की है उसके मुतअल्लिक खुद भी शहादत देता है और फ़रिशते भी शहादत देते हैं और सिर्फ़ खुदा वंदे तआला की शहादत काफ़ी है।

(सूरह निसा आयत 166)

कुरआने मजीद की तालीम के मुतअल्लिक़

1. कुरआने मजीद एक आलमी किताब है।
2. कुरआने मजीद एक कामिल और मुकम्मल किताब है।
3. कुरआने मजीद ता अबद और हमेशा बाकी रहने वाली किताब है।
4. कुरआने मजीद अपना आप सुबूत है।
5. कुरआने मजीद दो पहलू रखता है, यानी ज़ाहिरी और बातिनी।
6. कुरआने मजीद क्यों ज़ाहिरी और बातिनी दो तरीकों से बयान हुआ है?
7. कुरआने मजीद के अहकाम मोहकम और मुतशाबेह हैं।
8. इस्लामी मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में मोहकम व मुतशाबेह के क्या मअना हैं।?

9. कुरआने के मोहकम व मुतशाबेह में अहले बैत के तरीके।
10. कुरआने मजीद में तावील व तंज़ील मौजूद हैं।
11. मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में तावील के मअना।
12. कुरआने मजीद की रू से तावील के हकीकी मअना क्या हैं?
13. कुरआने मजीद में नासिख व मंसूख मौजूद हैं।
14. कुरआने मजीद में जरय व इंतेबाक़।
15. कुरआने मजीद की तफ़सीर, उस की पैदाईश और तरक्की।
16. इल्में तफ़सीर और मुफ़स्सेरीन के तबक़ात।
17. शिया मुफ़स्सेरीन के तरीके और उन के तबके।

18. खुद कुरआने मजीद किस किसम की तफ़सीर को कबूल करता है।
19. नतीजा ए बहस
20. तफ़सीर का नमूना खुद कुरआने मजीद की रू से ।
21. पैग़म्बर (स) के बयान और आईम्मा (अ) की नज़र में हुज्जीयत के मअना।

1. कुरआने मजीद एक आलमी किताब है।

कुरआने मजीद अपने मतालिब में उम्मतों में से एक खास उम्मत जैसे उम्मते अरब या कबीलों में एक खास कबीले या गिरोह यानी मुसलमानों से ही मुख्तस नहीं है बल्कि कुरआने गैर मुसलिम गिरोहों से भी इसी तरह बहस करता है जैसा कि मुसलमानों के हुक्म देता है। कुरआने मजीद अपने बहुत ज़्यादा खुतबों में कुफ़ार, मुशरेकीन, अहले किताब, यहूदियों, ईसाईयों और बनी इसराईल के बारे में बहस करता है और इन गिरोहों में से हर के साथ ऐहतेजाज करते हुए उनको

शिनाख्ते हकीकी की तरफ़ दावत देता है। इस तरह कुरआने मजीद उन गिरोहों में से हर गिरोह के साथ ऐहतेजाज करता है और उनको दावत देता है और अपने खिताब को उनके अरब होने पर मुख्तस और महदूद नहीं करता। चुँनाचे मुश्रिकों और बुत परस्तो के बारे में फ़रमाता है:

पस अगर उन्होने तौबा कर ली और नमाज़ कायम की और ज़कात दी तो वह दीन में तुम्हारे भाई हैं।

(सूरह तौबा आयत 11)

और अहले किताब के बारे में यानी यहूदी, ईसाई और मजूसी जो अहले किताब में शुमार होते हैं। ऐ नबी कह दो कि अहले किताब खुदा के कलाम की तरफ़ लौट आँ कि हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी तौर पर क़बूल हो जाये। (मसावी तौर पर खुदा के कलाम को क़बूल कर लें) और यह वह है कि खुदा वंदे तआला के सिवा किसी और की परस्तिश न करें और न ही उसका शरीक़ करार दें और हम में से बाज़ लोग दूसरी चीज़ों को अपना खुदा न बताँ।

(सूरह आले इमरान आयत 64)

हम देखते हैं कि हरगिज़ यह नही फ़रमाया कि मुशरेकीने अरब तौबा कर लें और न ही फ़रमाया कि जो अहले किताब अरबी नस्ल से ताअल्लुक रखते हों।

हाँ तुलूए इस्लाम के आगाज़ में जब कि यह दावत ज़ज़ीरतुल अरब से बाहर नही फैली थी तो फ़ितरी तौर पर कुरआनी खुतबात उम्मते अरब ही से मंसूब किये जाते थे लेकिन हिजरत के छः साल बाद जब यह दावत बर्रे अज़ीम अरब में फैल गई तो उस वक़्त यह ख़्याल बातिल हो गया।

उन आयात के अलावा दूसरी आयात भी हैं जो अवाम को दावते इस्लाम देती हैं जैसे आयते करीमा:

मुझ पर वही नाज़िल हुई है इसलिये कि तुम को नसीहत करूँ और डराऊँ उन लोगों को इस नसीहत और कुरआन पर ईमान रखते हैं।

(सूरह अनआम आयत 19)

यह कुरआन दुनिया वालों के लिये नसीहत और याद दहानी के अलावा और कोई चीज़ नही है।

(सूरह क़लम आयत 52) (सूरह साद आयत 87)

और आयते करीमा:

बेशक यह आयत बुजुर्ग तरीन आयात में से एक है जब कि इंसान को खुदा से डराती है।

(सूरह मुदस्सिर आयत 35, 36)

तारीखी लिहाज़ से भी इस्लाम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मसलन बुत परस्तों, यहूदियों, ईसाईयों और ऐसे ही बाज़ दूसरी उम्मतों के अफ़राद मसलन सलमाने फ़ारसी, सुहैबे रूमी और बेलाले हबशी जैसी शख़्सीयतों के ज़रिये भी साबित हो चुका है।

2. कुरआने मजीद एक कामिल व मुकम्मल किताब है

कुरआने मजीद मुकम्मल और कामिल किताब है जो इंसानी मक़ासिद पर मुश्तमिल है और इस मक़सद को कामिल तरीन सूरत में बयान करता है क्योकि इंसानी मक़ासिद जो हकीकत पसंदी से लबरेज़ हैं। मुकम्मल जहान बीनी और अखलाकी उसूल और अमली क़वानीन को बरूए कार लाने पर मुश्तमिल है जो

जहान बीनी के लिये ज़रूरी और लाज़िमी है। अल्लाह तबारक व तआला इस की तारीफ़ में फ़रमाता है:

ऐतेकाद और ईमान की हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता है और अमल में सिराते मुसतकीम की तरफ़।

(सूरह अहकाफ़ आयत 30)

फिर एक जगह तौरात और इंजील के ज़िक्र में फ़रमाता है:

हमने तुम पर बरहक़ किताब नाज़िल की कि जो (इससे पहले) इसके वक़्त में मौजूद है उसकी तसदीक़ करती है और उसकी निगहबान भी है और फिर कुरआने मजीद ने गुज़िश्ता पैग़म्बरों और अंबिया की शरीयतों से मुक़ाबला करते हुए फ़रमाया:

उस (मुहम्मद) ने तुम्हारे लिये दीन का वही तरीका और रास्ता मुकर्रर किया है जिस (पर चलने) का नूह को हुक़म दिया गया था और (ऐ रसूल) उसकी हमने तुम्हारे पास वही भेजी है और उसी का इब्राहीम और मूसा और ईसा को भी हुक़म दिया गया।

(सूरह शूरा आयत 13)

और फिर जामे तौर पर फ़रमाता है:

हमने यह किताब आहिस्ता आहिस्ता और ब तदरीज तुम पर नाज़िल की और यह किताब हर चीज़ को बयान करती है।

(सूरह नहल आयत 89)

मुनदरजा बाला आयात की नतीजा यह है कि कुरआने मजीद दर अस्ल तमाम इलहामी और आसमानी किताबों के मक़ासिद पर मुश्तमल है बल्कि उन से ज़्यादा (मौजूआत इसमें आयें हैं।) और हकीकत में हर वह चीज़ कि इंसान अपनी सआदत और खुश किस्मती की राह तय करने में इस पर ईमान, ऐतेकाद और अमल करता है और इस चीज़ का मोहताज है। इस किताब में मुकम्मल और कामिल तौर पर बयान किया गया है।

3. कुरआने मजीद ता अबद और हमेशा बाक़ी रहने वाली किताब है।

गुज़िश्ता बाब में इस मौजू पर जो हमने बहस की है वह इस दावे को साबित करने के लिये काफ़ी है क्योंकि वह बयान जो एक मक़सद और मतलब के बारे में

मुकम्मल और मुतलक है। ऐतेबार और दुरुस्ती के लिहाज़ से एक खास ज़माने में महदूद नहीं हो सकता और कुरआने मजीद अपने बयान को मुकम्मल और मुतलक जानता है और कमाल से बढ़ कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

कुरआन एक काते बयान है जो हक़ और बातिल को आपस में जुदा करता है और इसमें बेहूदा बात और यावा गोई हरगिज़ नहीं है।

(सूरह तारिक़ आयत 13, 14)

इसी तरह ईमानी और ऐतेकादी उलूम भी पाक हकीकत और मुकम्मल वाक़ेईयत होते हैं और अखलाकी उसूल और अमली क़वानीन जो ऊपर बयान किये गये हैं, उन ही मुस्तक़ित हक़ायक़ के नतीजे की पैदावार हैं और ऐसी चीज़ ज़माने गुज़रने के साथ साथ ना तो मिट सकती है और न ही मंसूख़ की जा सकती है।

अल्लाह तआला फ़रमाता हैं:

हमने कुरआने मजीद को हक़ (ठीक) नाज़िल किया और यह भी बिल्कुल हक़ (ठीक) नाज़िल हुआ है (अपने हदूस व बका में हक़ से अलग नहीं हुआ है।)

(सूरह बनी इसराईल आयत 105)

और फिर फ़रमाता है:

आया हक़ के अलावा (बग़ैर गुमराही और ज़लालत के सिवा कोई और चीज़ मौजूद है? (यानी हक़ को छोड़ने के बाद सिवाए गुमराही के और कुछ नहीं रहता।

(सूरह युनुस आयत 32)

एक और जगह अपने कलामे पाक में तफ़सील से फ़रमाता है:

हकीकत में कुरआन बहुत ही अज़ीज़ किताब है जो तमाम अतराफ़ से महफूज़ रखने वाली किताब है यानी हर जुल्म और हमले को अपनी ताक़त से देफ़ा करती है बातिल न ही सामने और न ही पीछे से इस पर हमला कर सकता है यानी न इस वक़्त और न ही आईन्दा मंसूख होने वाली किताब नहीं है।

(सूरह सजदा आयत 42)

अलबत्ता अहकामे कुरआनी की हिदायत के बारे में बहुत सी बहसे की जा चुकी हैं और हो सकती हैं लेकिन इस मौज़ू से ख़ारिज हैं क्योंकि यहाँ हमारा मक़सद सिर्फ़ मुसलमानों के सामने कुरआने मजीद की अहमियत और वक़अत को पहचनवाना है जैसा कि ख़ुद कुरआन (अपने बारे में) बयान फ़रमाता है।

4. कुरआने मजीद खुद ही अपना सुबूत है।

कुरआने मजीद जो कि पुख्ता कलाम है तमाम मामूली बातों का तरह अपने मअना से मुराद दरयाफ़्त करता है और हरगिज़ अपने बयान और सुबूत में मुबहम नहीं है ज़ाहिरी दलील की रू से भी कुरआने मजीद के तहतुल लफ़्ज़ी मअना उसके अरबी अल्फ़ाज़ से मुताबेकत रखते हैं और काबिले फ़हमाईश हैं लेकिन यह दावा कि खुद कुरआन अपने सुबूत और बयान में मुबहम नहीं है इसका सुबूत यह है कि जो शख्स भी लुगात से वाक़ेफ़ीयत रखता हो वह आयते करीमा के मअना और फ़िक़रात को आसानी से समझ सकता है। इसी तरह जैसा कि अरबी ज़बान और कलाम के मअना समझ लेता है इस के अलावा कुरआन में बहुत सी आयात देखने में आती हैं कि उन में एक ख़ास ग़िरोह और जमाअत मसलन बनी ईसराईल मोमिनीन, कुफ़रार और कभी आम इंसानों के ख़िताब करते हुए अपने बयानात और मक़ासिद को उनके सांमने रखता है (उन से मुखातिब होता है।[2]) या उन से अहतिजाज करता है और फ़ैसला कुन अँदाज़ में उन से कहता है कि अगर उन्हे किसी क्रिस्म का शक व शुबहा की कुरआने मजीद खुदा का कलाम नहीं है तो उस की मानिन्द (आयात) बना कर या लिख कर लायें। ज़ाहिर है कि वह अल्फ़ाज़ या कलाम जो आम इंसानों के लिये काबिले फ़हम न होगा वह बे मअना है। इसी तरह इंसान ऐसी चीज़ या कलाम लाएँ जिसके मअना काबिले फ़हमाईश न हो तो वह

हरगिज़ काबिले कबूल नही हो सकता। इस के अलावा खुदा वंदे तआला फ़रमाता हैं:

आया कुरआन में गौर नही करते और उसकी आयतों पर गौर व खौज़ नही करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं।

(सूरह मुहम्मद आयत 24)

और फिर फ़रमाया है:

भला यह कुरआन में गौर क्यों नही करते। अगर यह खुदा के सिवा और का (कलाम) होता तो इसमें (बहुत सा) इख़्तिलाफ़ पाते।

इन आयात की रू से तदब्बुर को जो कि फ़हम की खासियत रखता है, कबूल करता है और इसी तरह यही तदब्बुर आयात में इख़्तिलाफ़ात जो इब्तेदाई और सतही तौर पर सामने आते हैं वज़ाहत से हल कर देता है और ज़ाहिर है कि उन आयात के मअना वाज़ेह न होते तो उनमें तदब्बुर और गौर और इसी तरह ज़ाहिरी इख़्तिलाफ़ात गौर व फिक्र के ज़रिये हल करने का सवाल ही पैदा न होता।

लेकिन कुरआन की ज़ाहिरी हुज्जत की नफ़ी के बारे में दलील बे मअना है क्योंकि इस किस्म का कोई सुबूत फ़राहम नहीं होता। सिर्फ़ यह कि बाज़ लोगों ने कहा है कि कुरआने मजीद के मअना समझने के लिये फ़कत पैग़म्बरे अकरम (स) की अहादीस और बयानात या अहले बैत (अ) के बयानात की तरफ़ रुजू करना चाहे।

लेकिन यह बात भी काबिल क़बूल नहीं क्योंकि पैग़म्बर अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) के बयानात का सबूत तो कुरआन से हासिल करना चाहिये। बेना बर ईन कैसे ख़याल किया जा सकता है कि कुरआने मजीद के सुबूत में उन अफ़राद के बयानात काफ़ी हों बल्कि रिसालत और इमामत को साबित करने के लिये कुरआने मजीद की तरफ़ रुजू करना चाहिये जो नबूवत की सनद है।

अलबत्ता जो कुछ और बयान किया गया है उसका मतलब यह नहीं पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) अहकामे शरीयत की तफ़सीलात और इस्लामी क़वानीन की जुज़ईयात बयान करने के ओहदा दार नहीं जो ज़ाहिरी तौर पर कुरआने मजीद से साबित नहीं होते। (जिन उमूर की वज़ाहत की ज़रूरत है।)

और इसी तरह यही अफ़राद कुरआन की तालीम देने वाले मुअल्लिम हैं जैसा कि मुनदरजा ज़ैल आयात से साबित होता है:

और हम ने तुझ पर ज़िक्र (कुरआन) नाज़िल किया है ता कि यह चीज़ जो तुझ पर नाज़िल की है (अहकाम) उसको लोगों के सामने बयान और वज़ाहत करो।

(सूरह नहल आयत 44)

जो चीज़ पैग़म्बरे अकरम (स) तुम्हारे लिये लाये हैं यानी जिस चीज़ का उन्होने हुक्म दिया है उसको मानो और कबूल करो और जिस चीज़ से उन्होने मना किया है उस से बाज़ रहो।

(सूरह हश्र आयत 7)

हम ने किसी भी पैग़म्बर को नहीं भेजा मगर इस लिये कि खुदा के हुक्म की इताअत करें।

(सूरह निसा आयत 64)

खुदा वह है जिस ने अनपढ़ (उम्मी) जमाअत में से एक पैगम्बर को पैदा किया जो खुदा की आयतों को उन के लिये तिलावत करता है और उन को पाक करता है और उनको किताब (कुरआन) और हिकमत (इल्म व दानिश) की तालीम देता है।

(सूरह जुमा आयत 2)

इन आयात के ब मुजिब पैगम्बरे अकरम (स) शरीयत की तफसीलात और जुज़ईयात की वज़ाहत करते हैं और कुरआने मजीद के खुदाई मुअल्लिम हैं और हदीसे मुतावातिरे सकलैन के मुताबिक पैगम्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) को खुदा वंदे आलम ने मुख्तलिफ ओहदों पर अपना नायब और जानशीन बनाया है। इस का मतलब यह भी नहीं कि दूसरे अफ़राद जिन्होंने हकीकी मुअल्लिमों और उस्तादों से कुरआने मजीद के मआनी को सिखा है। कुरआने मजीद की आयतों के ज़ाहिरी मआनी को नहीं समझ सकते।

5. कुरआन ज़ाहिरी और बातिनी पहलू रखता है।

अल्लाह तआला अपने कलाम में फ़रमाता है:

सिर्फ़ खुदा की इबादत व परस्तिश करो और उसके अलावा किसी चीज़ को इबादत में उसका शरीक न करार दो।

(सूरह निसा आयत 36)

जाहिरी तौर पर इस आयत का मतलब मामूली बुतों की परस्तिश से मना करना है। चुनाचे फ़रमाता है:

नापाकियों से परहेज़ करो, जो बुत हैं। (बुत पलीद हैं और उनकी इबादत से परहेज़ करो।)

(सूरह हज आयत 30)

लेकिन ब ग़ौर मुतालआ और तजज़ीया व तहलील करने से मालूम होता है कि बुतों की पूजा इस लिये मना है कि उस का इंतेहाई मक़सद मा सिवलल्लाह के सामने अपनी सर झुकाना और खुजू व खुशू करना है और माबूद का बुत होना कोई खुसुसियत नहीं रखता। जैसा कि अल्लाह तआला शैतान को उसकी इबादत कहते हुए फ़रमाता है:

आया मैंने तुम्हे हुक्म नहीं दिया कि शैतान की परस्तिश न करो ऐ बनी आदम।

(सूरह यासीन आयत 60)

एक और तजज़ीया से मालूम होता है कि इताअत और फ़रमा बरदारी में खुद इंसान और दूसरों (ग़ैरों) के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि मा सिवलल्लाह

की इबादत और इताअत नही करनी चाहिये। ऐसे ही खुदा ए तआला के मुकाबले में ख्वाहिशाते नफ़सानी की पैरवी भी नही करनी चाहिये जैसा कि खुदा वंदे आलम इरशाद फ़रमाता है:

आया तुम ने ऐसे शख्स को देखा है कि (उसने) अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है।

(सूरह जासिया आयत 23)

एक और ब गौर तजज़ीए और मुतालए से मालूम होता है कि अल्लाह तआला के बग़ैर हरगिज़ किसी और चीज़ की तरफ़ तवज्जो ही नही करनी चाहिये ताकि ऐसा न हो कि खुदा ए तआला से इंसान गाफ़िल हो जाये क्योकि मा सिवलल्लाह की तरफ़ तवज्जो का मतलब उस चीज़ को मुस्तक़िल (खुदा से अलग) जानना है और उसके सामने एक क्रिस्म की नर्मी और खुजू व खुशू ज़ाहिर करना है और यही अम्र इबादत और परस्तिश की रुह या बुनियाद है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है:

कसम खाता हूँ हमने बहुत ज़्यादा जिनों और इंसानो को जहन्नम के लिये पैदा किया है। यहाँ तक फ़रमाता है। वह हमेशा खुदा से गाफ़िल है।

जैसा कि इस आयते करीमा से ज़ाहिर होता है व ला तुशरेकू बिहि शैय्या। सबसे पहले तो यह बात ज़हन में आती है कि बुतों की पूजा नहीं करना चाहिये लेकिन अगर ग़ौर करें तो मालूम होगा कि इसका मतलब यह है कि इंसान खुदा के फ़रमान के बग़ैर किसी और की परस्तिश और इबादत न करे और फिर अगर ज़्यादा ग़ौर व ख़ौज़ करें तो इस का मतलब यह होगा कि इंसान हत्ता कि अपनी मर्ज़ी से भी किसी की इताअत और पैरवी न करे। इससे और आगे बढ़े तो यह हासिल होगा कि खुदा वंदे तआला से ग़फ़लत और मा सिवलल्लाह की तरफ़ तवज्जो हरगिज़ नहीं करनी चाहिये।

इसी तरह अक्वल तो एक आयत के सादा और इब्तेदाई मअना ज़ाहिर होते हैं फिर (उन पर ग़ौर करने से) वसी मअना नज़र आते हैं और उन वसी मअनो के अंदर दूसरे वसी मअना पोशीदा होते हैं जो पूरे कुरआन में जारी है और उन्ही मअनों में ग़ौर व फिक्र के बाद पैगम्बरे अकरम (स) की मशहूर व मारुफ़ हदीस, जो बहुत ज़्यादा अहादीस व तफ़सीर की किताबों में नक़ल हुई है, के मअना वाज़ेह हो जाते हैं। यानी बेशक कुरआन के लिये ज़ाहिर भी हैं और बातिन भी और उसके बातिन के भी बातिन हैं जिन की तादाद सात तक हैं।

(तफ़सीरे साफ़ी मुक़द्दमा 8 और सफ़ीनतुल बिहार माद्दा ए ब त न)

लिहाज़ा जो कुछ ऊपर बयान किया गया है उससे मालूम होता है कि कुरआने मजीद का एक ज़ाहिरी पहलू है और एक बातिनी पहलू। यह दोनो पहलू कलाम (कुरआने मजीद) के मुताबिक और उससे मिलते हैं, सिवा ए इसके कि यह दोनो मअना तूल के लिहाज़ से हम मअना और हम मुराद हैं न गरज़ के लिहाज़, न तो लफ़ज़ का ज़ाहिरी इरादा (पहलू) बातिन की नफ़ी करता है और न ही बातिन इरादा (पहलू) ज़ाहिरी पहलू का मानेअ होता है।

[1] . देखिये अबक़ात हदीसे सकलैन, इस किताब में मज़कूरा हदीस को सैकड़ों बार खास व आम तरीक़ों से नक़ल किया गया है।

[2] . मिसाल के तौर पर बहुत सी आयते पेश की जा सकती हैं।

6. कुरआने मजीद ने क्यों दो तरीकों यानी ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर बयान फ़रमाया है?

1. इंसान ने अपनी ज़िन्दगी में जो कि सिर्फ़ दुनियावी और आरेज़ी ज़िन्दगी है, अपनी हयात का ख़ैमा एक बुलबुले की तरह माद्रे (material) से उसका हमेशा वास्ता है।

उसके अँदरुनी और बेरुनी हवास भी माद्रे और मादियात (materialism) में मशगूल हैं और उसके अफ़कार भी महसूस मालूमात के पाबंद हैं। खाना, पीना, चलना, आराम करना और आख़िर कार उसकी ज़िन्दगी की सारी सरगर्मियाँ माद्रे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और उसके अलावा कोई और फ़िक्र ही उसके ज़ेहन में नहीं आती।

और कभी कभी जबकि बाज़ मानवीयात को मसलन दोस्ती, दुश्मनी, बुलंद हिम्मती और आला ओहदा और ऐसे ही दूसरी चीज़ों का तसव्वुर करता है तो उन अकसर तसव्वुरात को सिर्फ़ माद्री मेयार पर परखता और अंजाम देता है मसलन कामयाबी की मिठाई को खान्ड, शकर और मिठाई के साथ जज़्ब ए दोस्ती को मक़नातीस की कशिश के साथ और बुलंद हिम्मती को मकान और मक़ाम की

बुलंदी के साथ या एक सितारे की बुलंदी से और मक़ाम व ओहदे को पहाड़ की बुलंदी के साथ तसव्वुर करता है।

बहरहाल अफ़कार और इफ़हाम, मानवीयात के मताल्लिब को हासिल करने की शक्ती में जो माद्वी दुनिया से बहुत बड़ी है, बहुत ही फ़र्क रखते हैं और उन के लिये कई मरहले हैं। फ़िक्र व शऊर, मानवीयात को तसव्वुर और महसूस करने की ताक़त और शक्ती नहीं रखते। एक और दूसरी फ़िक्र इससे ऊपर के मरहले की है। इसी तरह यहाँ कि इस फ़िक्र व फ़हम तक रसाई हो जाये जो वसी तरीन ग़ैर माद्वी मानवीयात को हासिल करने ताक़त रखता हो।

बहरहाल एक फ़हम की ताक़त मानवी मताल्लिब को समझने के लिये जिस क़दर भी ज़्यादा होगी। उसी निस्बत से उसकी दिलचस्बी माद्वी दुनिया और उसके धोके बाज़ मज़ाहिर की तरफ़ कमतर होगी और उसी तरह जितनी भी माद्वियात की तरफ़ दिलचस्बी कमतर होगी मानवी मताल्लिब को हासिल करने की ताक़त ज़्यादा हो जायेगी। इसी तरह इंसान अपनी इंसानी फ़ितरत के साथ सब के सब उन मताल्लिब को समझने की काबेलियत रखते हैं और अगर अपनी काबिलियत को ज़ाया न करें तो तरबीयत के काबिल हैं।

2. गुज़िश्ता बयानात से यह नतीजा हासिल होता है कि फ़हम व शुऊर के मुख्तलिफ़ मराहिल की मालूमात को खुद उस मरहले से कमतर नहीं लाया जा सकता वरना उसका नतीजा बिल्कुल बर अक्स होगा। खुसूसन ऐसी मानवीयात जो माद्दे और जिस्म की सतह से बहुत बाला तर हैं अगर बे पर्दा और साफ़ साफ़ अवाम को बताई जायें जिन का फ़हम व शुऊर दर हकीकत महसूसात से आगे नहीं बढ़ता तो इस (कोशिश) का मतलब और मक़सद बिल्कुल फ़ौत हो जायेगा। (यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।)

हम यहाँ पर मज़हब और सनवीयत का ज़िक्र कर सकते हैं। जो शख्स गहरे ग़ौर व फ़िक्र के साथ हिन्दी वेदाओं के उपानिशाद के हिस्से पर सोच विचार करे और उस हिस्से के अतराफ़ व जवानिब (इर्द गिर्द) के बयानात पर भी ग़ौर करे और उनको एक दूसरे के साथ मिला कर उसकी तफ़सीर करे तो मालूम होगा कि उसका मतलब और मक़सद भी तौहीद के सिवा और यकता परस्ती के अलावा कुछ नहीं है लेकिन बद किस्मती से चूँकि बे पर्दा और साफ़ साफ़ बयान हुआ है लिहाज़ा जब खुदा ए वाहिद की तौहीद का नक़शा जो उपानिशादों में पेश किया गया है उस पर आमयाना सतह पर अमल दर आमद होता है तो बुत परस्ती और मुख्तलिफ़ खुदाओं पर ऐतेराफ़ व ऐतेकाद के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता।

पस बहरहाल मा फ़ौकुल आदत और माद्वे के असरार को दुनिया वालों के सामने ब पर्दा बयान नही करना चाहिये बल्कि ऐसे बयानात पर्दे के अंदर बयान करने चाहियें।

3. जबकि दूसरे मज़ाहिब में बाज़ लोग दीन के फ़वायद से महरूम हैं मसलन औरत, हिन्दू, यहूदी, ईसाई मज़ाहिब में आम तौर पर मुक़द्दस किताबों के मआरिफ़ और तालिमात से महरूम हैं लेकिन इस्लाम किसी शख्स या सिन्फ़ के भी मज़हबी फ़वायद से महरूमियत का कायल नही है बल्कि खास व आम, मर्द व औरत, सियाह व सफ़ीद, सब के सब मज़हबी इम्तियाज़ात को हासिल कर में मुसावी और बराबर हैं, जैसा कि खुदा वंदे कुरआने मजीद में इरशाद फ़रमाता है:

में किसी अमल करने के अमल को ज़ाया नही करता। तुम सब मर्द व औरत एक ही क़िस्म के हो।

(सूरह आले इमरान आयत 195)

ऐ इंसानों, हम ने तुम्हे मर्द व औरत की शकल में पैदा किया है और फिर तुम्हे छोटे बड़े गिरोहों और क़बीलों में तक़सीम कर दिया है ताकि एक दूसरे को

पहचानों, पस जो शख्स तुम में से परहेज़ गार होगा खुदा के नज़दीक सब से अज़ीज़ होगा।

(सूरह हुजरात आयत 13)

इस मुकद्दमे को बयान करने के बाद हम यह कहते हैं कि कुरआने मजीद ने अपनी तालिमात मे सिर्फ़ इंसानियत को मद्दे नज़र रखा है, यानी हर इंसान को इस लिहाज़ से कि वह इंसान है काबिले तरबीयत और काबिले तरक्की समझा है, लिहाज़ा अपनी तालिमात को इंसानी दुनिया में आम और वसी रखा है।

चूँकि मानवीयात को समझने के लिये ज़हनों में बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ है और जैसा कि ज़ाहिर है कि मआरिफ़े आलिया की तफ़सीर खतरे से खाली नहीं है इसी लिये कुरआने मजीद ने अपनी तालिमात को सादा तरीन तरीके से जो आम फ़हम है और सादा व आम ज़बान में अवाम तक पहुचा है और बहुत सी सादा ज़बान में बात कही है।

अलबत्ता इस तरीके का नतीजा यह होगा कि मआरिफ़े आलिया मानवी सादा और आम ज़बान में बयान हो और अल्फ़ाज़ के ज़ाहिरी मअना और फ़रायज़ वाज़ेह तौर पर महसूस हों और मानवीयात ज़वाहिर के पीछे छुपे हुए हों और पर्दे के पीछे

आम फ़हम हों और इसी तरह हर शख्स अपने शुरु व फ़हम और अक़ल के मुताबिक़ उन मानवीयात के मअना से मुस्तफ़ीज़ हों। अल्लाह तआला अपने कलाम में फ़रमाता हैं:

बेशक हमने इस कुरआन को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है ताकि शायद तुम उसमें ग़ौर व फ़िक्र करो और बेशक यह कुरआन हमारे पास उम्मुल किताब (लौहे महफ़ूज़) में हैं। इस क़दर बुलंद मरतबे पर है जहाँ अक़ले इंसानी नही पहुच सकती। इसकी आयात बहुत मोहकम व पुख़्ता है जिन में इंसाना फ़हम को हरगिज़ दख़ल नही है।

(सूरह जुखरुफ़ आयत 3, 4)

फिर एक और मिसाल जो हक़ व बातिल और ज़हनों की गुंजाईश के बारे में लाता है उसमें यूँ फ़रमाता है:

ख़ुदा ने आसमान से पानी नाज़िल फ़रमाया पस यह पानी मुख़्तलिफ़ रास्तों में उनकी गुंजाईश के मुताबिक़ जारी हो गया।

(सूरह राद आयत 17)

और पैगम्बरे अकरम (स) एक मशहूर हदीसे शरीफ में यूँ फ़रमाते हैं:
हम पैगम्बर लोगों के साथ उनकी अक़ल के मुताबिक़ बात करते हैं।

इस तरीके और बहस से जो दूसरा नतीजा अख़्ज़ किया जा सकता है वह यह है कि कुरआने मजीद के ऐसे बयानात जिनमें पोशिदा असरार मख़्फ़ी हों मिसाल का पहलू हासिल कर लेते हैं। यानी खुदाई मआरिफ़ की निस्बत जो इंसानों के फ़हम व शऊर से बाला तर हैं उन के बारे में अमसाल मौजूद हैं जो इन मआरिफ़ को अच्छी तरह समझाने के लिये लाई गई हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

और बेशक हम लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की मिसाल लाएँ हैं लेकिन अकसर इंसानों ने इन को क़बूल नहीं किया और कुफ़राने नेमत किया।

(सूरह इसरा आयत 89)

और फिर फ़रमाता है:

और अगरचे हम लोगों के लिये बहुत सी मिसालें लाते हैं लेकिन वह उन में ग़ौर नहीं करते सिवाए उन लोगों के जो आलिम (समझदार) हैं।

(सूरह अनकबूत आयत 43)

लिहाज़ा कुरआने मजीद बहुत सी मिसालों को बयान करता है लेकिन मुनदरजा बाला आयात और जो कुछ इस मज़मून में आया है, काफ़ी है।

नतीजे के तौर पर हमें यँ कहना चाहिये कि मआरिफ़े आलिया के बारे में जो कुरआने के हकीकी मक़ासिद हैं, मिसालों के ज़रिये बयान किया गया है।

7. कुरआने मजीद में मोहकम व मुतशाबेह मौजूद है

खुदा वंदे तआला अपने कलामे मजीद में फ़रमाता है:

कुरआन ऐसी किताब है जिसकी आयात बहुत मोहकम (पुख़्ता, सिक़ह) हैं।

(सूरह हूद आयत 1)

और फिर फ़रमाता है:

अल्लाह तआला ने बेहतरीन बात (अल्फ़ाज़, कुरआन) नाज़िल फ़रमाई है जिसकी आयात आपस में मुशाबेह और शबीह और दो दो हैं। इस किताब के बाइस जो लोग खडुदा से डरते हैं (खौफ़ से) उनकी खालें उतर जाती हैं और कुरआन को सुन कर उन पर लरज़ा तारी हो जाता है।

सूरह जुमर आयत 23

फिर फ़रमाता है:

ख़ुदा वह है जिसने तुझ पर किताब नाज़िल फ़रमाई जबकि उसकी बाज़ आयात मोहकम हैं जो इस किताब की उम्मुल किताब, बुनियाद, माँ और मरजा हैं और बाज़ आयात मुतशाबेह हैं लेकिन जिन लोगों के दिलों में कजरवी है और इस्तेकामत से इंहैराफ़ की तरफ़ मायल हैं वह उस किताब की मुतशाबेह आयात की पैरवी करते हैं ता कि लोगों को फ़रेब और धोखा दे सकें और इस तरह फ़ितना बरपा करें इस लिये उसकी तावील बनाना चाहते हैं हालाकि उसकी तावील भी ख़ुदा के सिवा कोई नही जानता लेकिन जो लोग अपने इल्म में साबित क़दम हैं वह मुतशाबेह आयात के बारे में कहते हैं कि हम उन पर ईमान रखते हैं चूँकि यह सब आयात ख़ुदा की तरफ़ से नाज़िल हुई हैं।

जैसा कि वाज़ेह है कि कुरआन की पहली आयत उसके पुख़्ता (मोहकम) होने का सुबूत फ़राहम करती है और अलबत्ता उसका मतलब यह है कि किताब (कुरआन) हर किस्म के ऐब व नक़्स और ख़लल व बुतलान से मुबर्रा है और दूसरी आयत तमाम कुरआन को मुतशाबेह के तौर पर मुतआरिफ़ कराती है और उससे मुराद यह है कि कुरआनी आयात ख़ूब सूरती, उसलूब, हलावत, लहजे और ख़ारिकुल आदत बयान के लिहाज़ से यकसाँ हैं और पूरे कुरआन की यही हालत हैं।

और तीसरी आयत जो इस बाब में हमारे पेशे नज़र है, कुरआने मजीद को दो किस्मों यानी मोहकम व मुतशाबेह में तकसीम करती हैं और कुल्ली तौर पर कुरआने मजीद से यूँ नतीजा निकलता है:

पहली बात तो यह कि मोहकम वह आयत है जो अपनी दलील व बुरहान और सुबूत में मोहकम व पुख़्ता हो और उसके मअना व मतलब में किसी किस्म का शक व शुबहा मौजूद न हो यानी हकीकी मअना के अलावा कोई और मअना उससे अख़ज़ न किये जा सकें और मुतशाबेह उसके बर खिलाफ़ है।

और तीसरी बात यह है कि हर मोमिन जो अपने ईमान में रासिख और साबित क़दम है उसका ईमानी फ़र्ज यह है कि आयात मोहकमात पर ईमान लाये और अमल करे और इसी तरह मुतशाबेह आयात पर भी ईमान लाये लेकिन उन पर अमल करने से परहेज़ करे। सिर्फ़ वह लोग जिसके दिल मुनहरिफ़ और ईमान टेढ़े हैं वह मुतशाबेह आयात की अवाम को फ़रेब और धोखा देने के लिये तावीलें बना बना कर उन प अमल करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं।

8. मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में मोहकम और

मुतशाबेह के मआनी

उलामा ए इस्लाम के दरमियान मोहकम और मुतशाबेह के मआनी में बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ मौजूद है और उन मुख्तलिफ़ अक़वाल में तहकीक़ से इस मसले के बारे में तक़रीबन बीस अक़वाल मिल सकते हैं।

अवायले इस्लाम से लेकर आज तक जो मसला मुफ़स्सेरीन के लिये काबिले क़बूल रहा है वह यह है कि मोहकमात वह आयात हैं जिनके मआनी वाज़ेह हैं और असली मआनी के अलावा कोई मअना उन से नहीं लिये जा सकते और इंसान उन के बारे में किसी शक व शुबहे में नहीं पड़ता। इस क़िस्म की आयात पर ईमान लाना और अमल करना फ़र्ज़ है और मुतशाबेह वह आयात हैं जिन के ज़ाहिरी मअना मुबहम हैं और ऐसी आयात के हकीकी मअना उनकी तावील में मुज़मर हैं जो सिर्फ़ खुदा ही जानता है और इंसान की अक़ल उन तक नहीं पहुच सकती। इस क़िस्म की आयात पर ईमान तो लाना चाहिये लेकिन उन की पैरवी और उन पर अमल करने से परहेज़ करना चाहिये।

उलामा ए अहले सुन्नत के दरमियान भी यही क़ौल मशहूर है और उलामा ए शिया भी इसी पर मुत्तफ़िक़ हैं लेकिन उलामा ए शिया मोतक़िद हैं कि मुतशाबेह

आयात की तावील पैगम्बरे अकरम (स) और आईम्मा ए अहले बैत (अ) भी जानते हैं और आम मुसलमान और मोमिन जो मुतशाबेह आयात की तावील को समझने से कासिर हैं, उन का इल्म खुदा, पैगम्बर और आईम्मा पर छोड़े दें।

यह क़ौल अगरचे अकसर मुफ़स्सेरीन के दरमियान जारी और काबिले क़बूल है लेकिन चंद लिहाज़ से इस सूह आले इमरान की 7 वी आयते करीमा के मत्न और उसी जैसी दूसरी कुरआनी आयात के उसलूब पर मुनतबिक़ नही है।

सबसे पहले तो यह कि कुरआने मजीद में इस किस्म की आयतें जो अपने मदलूल (मअना) को तशखीस देने में आजिज़ हूँ, उन का नाम तक नही है। उसके अलावा जैसा कि कुरआने मजीद अपने आप को नूर, हादी, बयान जैसी सिफ़ात से याद करता है लिहाज़ा उसकी आयात हकीकी मअना और मुराद को वाज़ेह करने में ना रसा या मुबहम नही है।

इसके अलावा यह आयते करीमा:

क्या कुरआने मजीद में ग़ौर नही करते और अगर यह कुरआन खुदा के सिवा किसी और की तरफ़ से नाज़िल हुआ होता तो उसमें बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ मौजूद होता। कुरआने मजीद में ग़ौर व फ़िक़र करना हर किस्म के इख़्तिलाफ़ को ख़त्म

करने और मिटाने वाला कहा गया है। हालांकि जैसा कि मसल मशहूर है कि आयते मुतशाबेह में आने वाले इखितलाफात को किसी भी तरह से काबिले हल नहीं है।

मुमकिन है कि यह कहा जाये कि आयते मुतशाबेहात से मकसद और मुराद वही हुरुफे मुकत्तेआ (हुरुफे मुखफफ़) हैं जो कि बाज़ सूरों के शुरु में आते हैं जैसे अलिफ़ लाम मीम, अलिम लाम रा, हा मीम, वगैरह। जिन के हकीकी मअना को तशखीस देने का कोई तरीका ही नहीं है।

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि आयते करीमा में आयते मुतशाबेह को आयते मोहकम के मुकाबले में मुतशाबेह कहा गया है, इसकी वजहे तसमीया यह है कि मुनदर्जा बाला आयत मदलूलाते लफ़्ज़ी (लफ़्ज़ी मआनी) की तरह मअना रखती हो लेकिन हकीकी और अस्ल मअना, गैर हकीकी मअना के साथ मुशतबह हो जायें और बाज़ सूरों के शुरु में आने वाले मुखफफ़ अल्फ़ाज़ या हुरुफ़ इस किस्म के लफ़्ज़ी मअना नहीं रखते।

इस के अलावा उस आयत के ज़ाहिरी मअना यह हैं कि मुनहरिफ़ लोग आयते मुतशाबेहात से अवाम को गुमराह करने और फ़रेब देने के लिये ना जायज़ फ़ायदा

उठाते हैं और इस्लाम में यह सुनने में नहीं आया कि कोई शख्स सुरों के आगाज़ में आने वाले हुरुफ़े मुक़त्तेआ या मुखफ़फ़ हुरुफ़ की तावील करते हुए इस क्रिस्म का फ़ायदा उठाये और जिन लोगों ने इस क्रिस्म की तावील कर के फ़ायदा उठाया है उन्होंने न सिर्फ़ उन ही अल्फ़ाज़ से बल्कि तमाम कुरआन की तावील कर के इस क्रिस्म का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है।

बाज़ लोगों ने कहा है कि मज़क़ूरा आयत में मुतशाबेह की तावील एक मशहूर क्रिस्से की तरफ़ इशारा करती है जिसके ब मूजिब यहूदियों ने कोशिश की है कि सुरों के आगाज़ में आने वाले हुरुफ़े मुक़त्तेआत या मुखफ़फ़ हुरुफ़ से इस्लाम की बक़ा और दवाम की मुद्दत को समझें और पैग़म्बरे अकरम (स) ने यके बाद दीगरे ऐसे मुखफ़फ़ या आगाज़ी हुरुफ़ पढ़ कर उन के हिसाब को ग़लत बना दिया था।

[1]

यह बात बिल्कुल बेहूदा है क्योकि इस क्रिस्से या रिवायत के सही होने के बारे में बाज़ यहूदियों ने बहुत कुछ लिखा है और कहा है और उसी महफ़िल में उस का जवाब भी सुन लिया है और यह क्रिस्सा इस क़दर क़ाबिले अहमियत नहीं है कि आयते करीमा में मुतशाबेह की तावील के मसले पर ज़ौर दिया जाता।

इस के अलावा यहूदियों की बात में किसी क्रिस्म का फितना व फ़साद भी नहीं था क्योंकि अगर एक दीन हकीकी हो तो अगरचे वह वक्ती और काबिले मंसूख भी क्यों न हो फिर भी उस की हक्कानियत पर कोई हर्फ़ नहीं आ सकता। जैसा कि इस्लाम से पहले आसमानी अदयान की यही हालत रही है लेकिन वह सब के सब हकीकी दीन थे।

तीसरे, इस बात की वजह यह है कि आयते करीमा में लफ़्जे तावील के मअना और मदलूले ज़ाहिरी मअना के बर अक्स आये हों और इसी तरह आयते मुतशाबेह से मखसूस हों, यह दोनो मतलब ठीक नहीं हैं और आईन्दा बहस में जो तावील और तंज़ील के बाब में आयेगी, हम इस के बारे में वज़ाहत से बयान करेंगे कि कुरआने मजीद में लफ़्जे तावील मअना और मदलूल के पैराए में नहीं आया कि कोई दूसरा लफ़्ज़ उसका लुग़वी बदल बन सके और दूसरे यह कि तमाम कुरआनी आयात चाहे वह मोहकम हों या मुतशाबेह, उनकी तावील हो सकती है न कि सिर्फ़ आयाते मुतशाबेह की। और तीसरे यह कि आयते करीमा में लफ़्जे आयाते मोहकमाते को जुमल ए हुन्ना उम्मुल किताब के साथ बयान किया गया है और इस के मअना यह है कि आयाते मोहकमात किताब के असली मताल्लिब पर मुशतमिल है और बक़िया आयात के मताल्लिब उन की शाखें (फ़ुरुआत) हैं। इस मतलब का वाज़ेह मक़सद यह है कि आयाते मुतशाबेह अपने मअना व मुराद के

लिहाज़ से आयाते मोहकमात की तरफ़ लौट जायें यानी आयाते मुतशाबेह के मआनी की वज़ाहत के लिये उन को आयातो मोहकमात की तरफ़ रुजू करना चाहिये और आयाते मोहकमात की मदद से उन के हकीकी मअना व मुराद को समझना चाहिये।

लिहाज़ा कुरआने मजीद में कोई ऐसी आयत जिस के हकीकी मअना को हासिल न किया जा सके मौजूद नहीं है और कुरआनी आयात या बिला वास्ता मोहकमात में शामिल हैं जैसे खुद आयात मोहकमात और या बा वास्ता मोहकम हैं जैसे मुतशाबेहात वगैरह की तरह, लेकिन हुरुफ़े मुकत्तेआ (मुखफ़फ़) जो सूरों के आगाज़ में मौजूद हैं उन के लफ़्ज़ी मअना हरगिज़ मालूम नहीं हैं। इस तरह यह हुरुफ़ आयाते मोहकमात और मुतशाबेहात दोनो किस्मों में नहीं लाए जा सकते।

इस मतलब को समझने के लिये यह आयते करीमा:

तो क्यो लोग कुरआन में (ज़रा भी) ग़ौर नहीं करते या (उन के) दिलों पर ताले (लगे हुए) हैं ।

(सूरह मुहम्मद आयत 24)

और इसी तरह यह आयते करीमा:

तो क्यो यह लोग कुरआन में भी गौर नही करते और (यह ख्याल नही करते कि) अगर खुदा के सिवा और की तरफ़ से (आया) होता तो जरूर उसमें बड़ा इख़्तिलाफ़ पाते।

सूरह निसा आयत 82 से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है।

9. कुरआन की मोहकम और मुतशाबेह आयात के बारे में आईम्म ए अहले बैत (अ) के नज़रियात

जैसा कि आईम्म ए अहले बैत (अ) के मुख्तलिफ़ बयानात से नतीजा हासिल होता है वह यह है कि ऐसी मुतशाबेह आयात जिसके हकीकी मअना बिल्कुल समझ से बाहर से बाहर हों, हरगिज़ कुरआने मजीद में मौजूद नही है बल्कि अगर हर आयात अपने हकीकी मआनी में मुस्तक़िल न हो तो दूसरी आयात के ज़रिये उसके हकीकी मआनी को समझा जा सकता है और यह तरीका मुतशाबेह आयात को आयाते मोहकमात की तरफ़ रुजू कराना है जैसा कि यह आयाते करीमा:

खुदा अपने तख़्त पर बैठा है।

(सूरह ताहा आयत 5)

और इस आयाते करीमा में: तेरा खुदा आ गया।

(सूरह फ़ज़ आयत 24)

जाहिरी तौर पर (खुदा की) जिस्मानियत और मादियत का पता देती है लेकिन इन दो आयाते करीमा को इस आयत: कोई चीज़ खुदा के मानिन्द नहीं है।

सूरह शूरा आयत 11 की तरफ़ रूजू करने से मालूम हो जाता है कि खुदा वंदे आलम के बैठने और आने की तरफ़ जो इशारा हुआ है वह जाहिरी मअना यानी एक जगह पप बैठने और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने से बिल्कुल अलग है।

पैगम्बरे अकरम (स) कुरआने मजीद की तारीफ़ में फ़रमाते हैं:

बेशक कुरआन इस लिये नाज़िल नहीं हुआ कि बाज़ आयात के ज़रिये तसदीक़ करे। पस जिस चीज़ को तुम ने समझ लिया है उस पर अमन करो और जिस चीज़ के मुतअल्लिक़ तुम्हे शक व शुबहा हो उस पर ईमान लाओ।

(तफ़सीरे दुरूल मंसूर जिल्द 1 पेज 8)

और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली (अ) फ़रमाते हैं:

कुरआने मजीद के बाज़ हिस्से बाज़ दूसरे हिस्सों के बारे में शहादत देते हैं और बाज़ हिस्सों के बाइस दूसरे हिस्से मुनतबिक हो जाते हैं।

(नहजुल बलागा ख़ुतबा 131)

आठवे इमाम हज़रत अली रेज़ा (अ) फ़रमाते हैं:

कुरआने मजीद की आयाते मोहकमात वह हैं जिन पर अमल किया जा सकता है और मुतशाबेह आयात वह हैं कि अगर कोई शख्स उन को न जानता हो तो उन में मुशतबह होगा।

(तफ़सीरे अयाशी जिल्द 1 पेज 162)

एक और रिवायत में है कि मोहकम व मुतशाबेह के दरमियान एक निस्बत मौजूद है और मुमकिन है एक आयत एक मौजू के बारे में मोहकम हो और वही आयत दूसरे मौजू या मतलब के बारे में मुतशाबेह हो।

और आठवे इमाम (अ) एक दूसरी जगह पर इस तरह फ़रमाते हैं:

जिस शख्स ने कुरआने मजीद की मुतशाबेह आयात को मोहकमात की तरफ़ रुजू कर दिया वह राहे रास्त पर हिदायत हासिल कर गया। फिर फ़रमाया:

बेशक हमारी हदीसों भी मुतशाबेह हैं जैसा कि कुरआने मजीद में मुतशाबेह मौजूद है पस उन मुतशाबेहात को मोहकमात की तरफ़ ले जाओ और सिर्फ़ अकेली मुतशाबेह आयत की पैरवी न करो क्योकि गुमराह हो जाओगे।

जैसा कि मालूम है यह रिवायात और खुसूसन आखिरी रिवायत इस मौजू में वाज़ेह है कि मुतशाबेह एक ऐसी आयत है जो अपने हकीकी मअना को वाज़ेह करने में मुस्तक़िल न हो और दूसरी मोहकमात आयात के ज़रिये वाज़ेह होती है। यह बात सही नहीं है मुतशाबेह आयात को समझाना या उस के मआनी तक पहुँचा ही नहीं जा सकता।

10. कुरआने मजीद तावील व तंजील रखता है

तावीले कुरआन का लफ़ज़ कुरआने मजीद में तीन बार मुख्तलिफ़ आयात में आया है:

मोहकम व मुतशाबेह आयात जो पहले नक़ल की जा चुकी हैं।

लेकिन जिनके दिलों में कजरवी है और इस्तेक़ामत से इंहेराफ़ की तरफ़ मायल हैं वही मुतशाबेह आयात की पैरवी करते हैं ता कि लोगों को फ़रेब और धोखा दे सकें और इस तरह फ़ितना बरपा करें, इस लिये कि उसकी तावील बनाना चाहते हैं हाला कि उस की तावील खुदा के सिवा कोई नहीं जानता।

(सूरह आले इमरान आयत 7)

1. मैं क़सम खाता हूँ, उन लोगों के लिये हम ने ऐसी किताब नाज़िल की है कि उस में हर चीज़ की बुनियाद को इल्म व दानिश के मुताबिक़ तफ़सील से बयान किया गया है, यह किताब उन लोगों के लिये रहमत और हिदायत है जो ईमान लाये हैं। यह लोग शर्मिदा नहीं हैं बल्कि काफ़िर और वह लोग जो खुदा की आयतों और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, उस दिन के मुनतज़िर हैं, जब उन आयात की तावील और उन के हाल व अहवाल (मौत और क़यामत के दिन)

सामने आयेगें और अंजामें कार को मुलाहिजा करेगें। जो लोग उस दिन को भूले हुए हैं उस दिन शर्मिन्दगी औप हसरत के साथ अफ़सोस करेगें कि खुदा के रसूल और पैग़म्बर अपने रौशन और वाज़ेह दलायल के साथ आये और हमारे लिये उनकी वज़ाहत की। (काश हम उस वक़्त मुखालिफ़त व करते)

2. आयते करीमा व मा काना हाज़ल कुरआनो अय युफ़तरा यहाँ तक कि फ़रमाता है।

यह कुरआन इफ़रता नहीं है यहाँ तक कि फ़रमाता है: बल्कि उन लोगों ने उस को झुटलाया है जिस चीज़ का उन को बिल्कुल इल्म नहीं जबकि अभी तक उस की तावील उन के लिये वाज़ेह नहीं हुई, इसी तरह जो लोग उन से पहले थे उन्होंने भी खुदा की आयात की झुटलाया था। ऐ रसूल तुम देखते हो कि उन ज़ालिमों का अंजाम क्या होगा और वह किस तरह हलाक होंगे।

(सूरह युनुस 37, 39)

बहरहाल तावील का लफ़ज़ औल से निकला है जिसके मअना रूजू के हैं और तावील से मुराद वह चीज़ है जिस की तरफ़ वह आयात फिरती या रूजू करती है

और तावील के मुक़ाबले में तंज़ील के मअना वाज़ेह हैं याना तहतुल लफ़्ज़ी मअना है।

11. मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में तावील के मअना

मुफ़स्सेरीन और उलामा ए केराम, तावील के मअना में शदीद इख़्तिलाफ़ रखते हैं और अक़वाल व अहादीस की पैरवी में तावील के बारे में दस से ज़्यादा अक़वाल देखने में आते हैं लेकिन उन सब अक़वाल में से दो ज़्यादा मशहूर हैं:

1. उलामा ए क़दीम तावील को तफ़सीर के मुतरादिफ़ समझते थे लिहाज़ा तमाम कुरआनी आयात का तावील मौजूद है लेकिन आयते करीमा के मुताबिक़:

मुतशाबेहात की तावील ख़ुदा के सिवा कोई नहीं जानता।

इस लिहाज़ से बाज़ उलामा ए क़दीम ने कहा है कि कुरआन की मुतशाबेह आयात वही हुरुफ़े मुक़त्तेआ (हुरुफ़े मुखफ़फ़) हैं जो बाज़ सूरों के शुरु में आयें हैं क्योंकि कुरआने मजीद में ऐसी ऐसी आयत जिसके मअना अवाम पर वाज़ेह न हों। हुरुफ़े मुक़त्तेआ के अलावा कोई नहीं है लेकिन हमने पिछले अध्याय में इस अक़ीदे के मंसूख होने के बारे में काफ़ी वज़ाहत की है।

बहरहाल इस मौजू क पेशे नज़र कि कुरआने मजीद की बाज़ आयात की तावील जानने के बारे में खुदा के सिवा किसी और की तरफ़ मंसूब नही करता। और कुरआने मजीद में कोई ऐसी आयत जिसके मअना सब पर मजहूल हों, मौजूद नही है और हुरुफ़े मुकत्तेआ भी मुतशाबेह आयात में नही आते, यह वाज़ेह करता है कि उलामा ए जदीद के पेशे नज़र यह क़ौल बातिल और मंसूख व मतरूक है।

2. उलामा ए जदीद के क़ौल के मुताबिक़ तावील के मअना उन ज़ाहिरी मअना के बर अक्स जो ज़ाहिरी तौर पर कलाम से हासिल होते हैं। बेना बर ईन तमाम कुरआनी आयात तावील नही रखतीं लिहाज़ा मुतशाबेह आयात ही है जो तावील रखती हैं और उन के मअना, जाहिरी मअना के बर अक्स हैं जिन का इल्म खुदा के सिवा किसी को नही है। जैसा कि आयात में में खुदा के बैठने, मर्जी आने, ग़ज़बनाक होने, अफ़सोस करने और दूसरी माद्दी तारीफ़ात को खुदा से मंसूब किया गया है। और ऐसे ही दूसरी आयात जिन के बारे में पैग़म्बरों और अंबिया ए मासूम को गुनाहों से मंसूब किया गया है।

यह मज़हब इस क़दर अमली वाक़े हुआ है कि हाले हाज़िर में तावील, ज़ाहिरी मअना के बर अक्ल एक हकीक़ते सानिया बन गई है और कुरआनी आयात की तावील कलामी झगड़े यानी इल्मे कलाम में ज़ाहिरी लिहाज़ से और ज़ाहिर के बर

अक्स उन के मअना करना एक ऐसा तरीका बन गया है कि खुद यह तरीका तनाकुज़ से खाली और मुबर्रा नही है।[2]

यह क़ौल अगरचे बहुत मशहूर है लेकिन ठीक और सही नही है और कुरआनी आयात के साथ मुनतबिक़ नही है क्योकि:

1. सूरह आराफ़ की यह 53वीं आयते करीमा, सूरह युनुस की 39 वीं आयते करीमा, जो पिछले बाब में बयान हो चुकी हैं। उन से ज़ाहिर होता है कि सारा कुरआन तावील रखता है न कि सिर्फ़ आयाते मुतशाबेहात जैसा कि इस क़ौल में कहा गया है।

2. इस क़ौल की बुनियाद यह है कि कुरआन में ऐसी आयात मौजूद हों जिन के हकीक़ी मअना मुशतबेह और अवाम पर मजहूल हों और खुदा के सिवा कोई शख्स उन से वाक़िफ़ न हो और ऐसा कलाम जो अपने मअानी के वाज़ेह करने के लिये गुँग और मुफ़हम हो उस को बलीग़ कलाम नही कहा जा सकता। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह कलाम अपनी फ़साहत व बलाग़त के लिहाज़ से दुनिया के मुक़्ाबले के लिये लतब करे और अपनी बरतरी का ऐलान करे।

3. यह है कि इस क़ौल के मुताबिक़ कुरआनी हुज्जत (दलील व बुरहान) ख़त्म नही हो जाती क्योकि इस आयते करीमा (सूरह निसा आयत 82) के मुताबिक़, कुरआने मजीद इंसानी कलाम नही है, दूसरी दलीलों में से एक दलील यह है कि

उस की आयात के दरमियान (अगरचे यह आयात बहुत ज़्यादा फ़ासल ए ज़मानी और खास औज़ा व अहवाल और माहौल के मुताबिक़ नाज़िल हुई हैं।) मअना और मदलूल के लिहाज़ से उन में किसी किस्म का इख़्तिलाफ़ मौजूद नहीं जो ज़ाहिरी तौर पर मालूम हो बल्कि अगर हो भी तो आयात में ग़ौर करने से ख़त्म हो जाता है।

4. यह है कि उसूली तौर पर मोहकम व मुतशाबेहात की तावील के मअना ज़ाहिरी मअना के बर ख़िलाफ़ हों कोई दलील ही नज़र नहीं आती। वह तमाम कुरआनी आयात जिन में तावील का लफ़ज़ आया है उन से मक़सद इस किस्म के मआनी नहीं है। जैसे किस्स ए युसुफ़ में तीन जगह तावील का लफ़ज़ आया है जिस का मतलब ख़्वाब की ताबीर है और ज़ाहिर है कि ख़्वाब की ताबीर उस के ज़ाहिरी मअना के बर ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि एक ऐसी ख़ारेजी ऐनी हकीकत है जो ख़्वाब में देखी गई है जैसा कि हज़रते युसुफ़ ने खुद को और अपने माँ बाप, बहन भाईयों को सजदा करने को सूरज, चाँद और सितारों की शक़ल में देखा था। [3]

और जैसा कि मिस्र के बादशाह ने उस मुल्क में सात साला क़हत और खुश्क साली को लाग़र और कमज़ोर गायों की शक़ल में मुशाहेदा किया था कि सात फ़रबा और मोटी गायों को खा रही है और इसी तरह सात सबज़ खोशे और सात खुश्क खोशे देखे थे और जैसा कि कैद में हज़रत युसुफ़ के साथियों में से एक ने

सूली को दूसरे ने बादशाह की साकी गरी को अँगूरों के गुँछों के निचोड़ने और अपने सर पर रोटियों का टोकरा उठाने और फिर परिन्दों का उन रोटियों के नोचने और खाने की हालत में देखा था।

इसी तरह सूरह कहफ़ (आयत 71,72) से हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र के किस्से हैं, उसके बाद कि हज़रत ख़िज़्र कश्ती को सूराख़ कर देते हैं, फिर एक बच्चे को मार देते हैं और एक दीवार को तामीर करते हैं और हर मरहले पर हज़रत मूसा ऐतेराज़ करते हैं। फिर हज़रते ख़िज़्र उन सब कामों का जवाब देते हैं और खुदा वंदे आलम के हुक्म और अम्र के मुताबिक़ उन कामों की हकीकत को बयान करते हैं, इस अमल को तावील कहा गया है और ज़ाहिर है कि हकीकते कार और उसका असली मक़सद जो ज़ाहिरी अमल की सूरत में सामने आया है, उसके मअना काम की रूह और हकीकत हैं। जिनको तावील कहा गया है और उन कामों के मअना, ज़ाहिरी मअना के बर अक्स नहीं है, इसी तरह अल्लाह तआला वज़्न और पैमाने के बारे में फ़रमाता हैं:

और जब तुम किसी चीज़ को पैमाने और वज़्न से नापते हो तो उस को पूरी तरह से नापो और वज़्न करो और पैमाने को अच्छी तरह से पुर करो और सही

तराजू से वज़न करो क्योकि यही तरीका बेहतर है और तावील के लिहाज़ से ठीक भी है।

(सूरह बनी इसराईल आयत 35)

इस से मालूम होता है कि कैल (पैमाने) और वज़न से मुराद खास इक्तेसादी हालत है जो ज़रूरियाते ज़िन्दगी में लेन देन और नक़ल व इंतेक़ाल के ज़रिये बाज़ार में पैदा होती है और इस मअना में तावील वज़न और पैमाने के खिलाफ़ नही बल्कि एक मानवी और ज़ाहिरी हकीक़त है जो वज़न और पैमाने की सूरत में बयान हुई है और उस की ठीक सूरत अमल के अंजाम देने में ज़ाहिर होती है।

इसी तरह एक और जगह फ़रमाता है:

पस अगर एक चीज़ के बारे में तुम झगड़ा या इख़्तिलाफ़ हो जाये तो उस को खुदा की तरफ़ पलटा दो.... और यही बेहतर है और तावील के लिहाज़ से भी सही है।

ज़ाहिर है कि तावील से मुराद झगड़े को हल करने के लिये खुदा और रसूल की तरफ़ रूजू करना है और इस का मक़सद समाज और मुआशरे की वहदत व यगानगत को मज़बूत करना और समाज में मानवी और रुही इत्तेहाद पैदा करना

है। यह भी एक खारजी हकीकत है न कि झगड़े को हल करने के बर अक्ल कोई और मअना हों।

इसी तरह चंद एक दूसरी मिसालें और हैं जिन में तावील का लफ़्ज़ कुरआने मजीद में आया है और कुल मिला कर 16 बार ज़िक्र हुआ है और उन तमाम मिसालों में से किसी में भी तावील के मअना को ज़ाहिरी मअना के बर अक्स नहीं लिया जा सकता बल्कि एक दूसरे मअना हैं (जिसे अगली फ़स्ल में वज़ाहत से बयान किया जायेगा।) लफ़्ज़े तावील आयाते मोहकमात और मोतशाबेहात में आया है लिहाज़ा तावील का लफ़्ज़ मुनदर्जा बाला आयात में ज़ाहिरी मअना के बर खिलाफ़ कोई दूसरे मअना नहीं देता।

12. कुरआने मजीद की इस्तेलाह में तावील के क्या मअना है?

कुरआने मजीद में ऐसी आयाते शरीफ़ा जिन में तावील का लफ़्ज़ आया है और उन में बाज़ आयात को पिछले बाब अबवाब में नक़ल कर चुके हैं, उन से जो नतीजा निकलता है वह यह है कि तावील के मअना के लिहाज़ से लफ़्ज़ी मअना में इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसा कि सूर ए युसुफ़ में ख़्वाबों की ताबीर के बारे में

नक़ल हुआ है और उन ख़्वाबों की तावील की गई है कि ऐसा लफ़ज़ जो ख़्वाब की तशरीह करे हरगिज़ ख़्वाब की तावील में लफ़ज़ी सुबूत फ़राहम नहीं करता ख़्वाह वह ज़ाहिरी मअना के बर अक्स ही क्यो न हो।

और ऐसे ही हज़रत मूसा (अ) और हज़रते ख़िज़्र के वाकये में किस्से का लफ़ज़ उस की तावील पर दलालत नहीं करता जो हज़रत ख़िज़्र (अ) ने हज़रते मूसा (अ) के लिये बयान किये था। इसी तरह यह आयते शरीफ़ा व औफ़ुल कैला इज़ा किलतुम व जिनु बिल किसतासिल मुस्तक़ीम। (37,17) यह दो फ़िक़रे किसी मख़सूस इक्तेसादी हालत का लफ़ज़ी सुबूत फ़राहम नहीं करते लिहाज़ा उन की तावील करना ज़रूरी है।

इसी तरह सूरह निसा की 59 वी आयते शरीफ़ा अपनी तावील पर लफ़ज़ी सुबूत, जो वहदते इस्लामी है, नहीं रखता और अगर तमाम आयात पर ग़ौर करें तो मालूम होगा कि हकीकत यही है।

बल्कि ख़्वाबों के बारे में, ख़्वाब की ताबीर एक ख़ारेजी हकीकत है जो एक ख़ास शक़ल में ख़्वाब देखने वाले शख़्स के सामने जलवा गर होती है, इसी तरह हज़रते मूसा (अ) और हज़रते ख़िज़्र के किस्से में वह तावील जो हज़रते ख़िज़्र ने बयान

की, एक ऐसी हकीकत है कि अंजाम शुदा काम इस हकीकत से सर चश्मा हासिल करता है और खुद वही काम एक तरह की तावील में मुज़मर है। वह आयत जो वज़न और पैमाने के सही होने पर हुक्म देती है उसकी तावील एक हकीकत और मसलहत है कि यह फ़रमान उस नुक्ते पर तकिया करता है और एक तरह से इस हकीकत को साबित और मुकम्मल करता है और यह आयते शरीफ़ा जिस में झगड़ों को खुदा और रसूल की तरफ़ ले जाने का हुक्म है उस में भी यही अम्र और हकीकत पोशिदा है।

लिहाज़ा हर चीज़ की तावील एक ऐसी हकीकत है कि वह चीज़ उस से सर चश्मा हासिल करती हो और वह चीज़ हर तरह से उस का मुकम्मल सुबूत और कामिल निशानी है जैसा कि तावील करने वाला हर शख्स खुद ज़िन्दा और मौजूद तावील है और तावील का ज़हूर भी साहिबे तावील के साथ मुमकिन है।

यह मतलब कुरआने मजीद में भी जारी है क्योंकि यह मुकद्दस किताब एक सिलसिल ए हक़ायक़ और मानवीयात से सर चश्मा हासिल करती है जो माद़े और जिस्मानियत की क़ैद से आज़ाद और हिस व महसूस के मरहले से बहुत बाला तर है और अल्फ़ाज़ व इबारात के क़ालिब में जो हमारी माद़ी ज़िन्दगी का महसूल है, इससे बहुत बुलंद और वसी है।

यह हक़ायक़ और मानवीयात अपनी हक़ीक़त के ऐतेबार से लफ़्ज़ी क़ालिब में मही समा सकते, सिर्फ़ वह उमूर जो ग़ैब की तरफ़ से अंजाम पाते हैं वह यह है कि उन अल्फ़ाज़ के साथ दुनिया ए इंसानी को मुतनब्बेह किया गया है कि हक़ पर ज़ाहिरी ऐतेक़ादात और अपने नेक कामों के ज़रिये अपने आप को सआदत और खुश बख़्ती हासिल करने के लिये मुसतईद करें, क्योकि सिवा ए इस के कि अपनी आँखों से मुशाहेदा करके वाक़ेईयत और हक़ीक़त को समझें, कोई और रास्ता या चारा नही है। क़यामत का दिन ख़ुदा वंदे आलम से मुलाक़ात का दिन है, जिस दिन यह हक़ायक़ मुकम्मल तौर पर खुल कर सामने आयेगें जैसा कि सूर ए आराफ़ की 2 आयात और सूर ए युनुस की आयते शरीफ़ा इस बात का सुबूत फ़राहम करती है।

अल्लाह तआला इस अम्र की तरफ़ इशारा करते हुए इरशाद फ़रमाता है:

इस किताबे मुबीन की क़सम, हमने इस कुरआन को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है ताकि तुम इसमें ग़ौर व फ़िक्र करो और यक़ीनन यह किताब हमारे पास उम्मुल किताब (लौहे महफूज़) में मौजूद है। इस का मरतबा बहुत बुलंद है इतना

कि आम लोग इस को हरगिज़ नही समझ सकते और इस की आयात बहुत ही पुख्ता है इतनी कि इंसानों की अक़लों की रसाई वहाँ तक नही है।

(सूरह जुखरूफ़ आयत 2, 4)

आयते शरीफ़ा के आखिरी हिस्से की तावील अपने मअना से मुताबेकत के लिहाज़ से जैसा कि बयान किया गया है, वाज़ेह है और खुसूसन इस लिहाज़ कि खुदा वंदे आलम ने फ़रमाया है: लअल्लकुम तअक़ेलून यह नही फ़रमाया कि लअल्लकुम तअक़िलूनहू (शायद इस में ग़ौर करो) क्योकि तावील की शिनाख़्त जैसा कि मोहकम व मुतशाबेह आयात (उसकी तावील सिवा ए खुदा वंदे आलम के कोई नही जानता) में फ़रमाया है, अहले इंहेराफ़ को मुतशाबेह आयात की पैरवी करने पर सरज़निश और मलामत करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है कि उनकी पैरवी करने से फ़ितना बरपा करना चाहते हैं और उनकी तावील बनाना चाहते हैं लेकिन यह नही फ़रमाया कि तावील पैदा करते हैं।

पस कुरआने मजीद की तावील वह हकीकत यह हक़ायक़ हैं कि उम्मुल किताब (लौहे महफ़ूज़) में खुदा के पास मौजूद हैं और इल्मे ग़ैब से इख़्तेसास रखते हैं।

फिर एक और जगह इसी मज़मून के करीब करीब इरशाद फ़रमाता है:

पस कसम हैं सितारों का हालत की और यकीनन यह ऐसी कसम है कि अगर तुम (इस में) गौर करो तो बहुत बड़ी कसम है कि यह कुरआने मजीद बहुत ही मोहतरम है जिस के असरार महफूज़ और पोशिदा हैं। (लौहे महफूज़ या उम्मुल किताब में) यह ऐसी किताब है कि उन लोगों के सिवा जो पाक व मुतहहर हैं उस को छू नहीं सकते। यह किताब परवर दिगारे आलम की तरफ़ से नाज़िल हुई है।

(सूरह वाक़ेया आयत 75 से 80)

जैसा कि ज़ाहिर है यह आयाते करीमा कुरआने मजीद के लिये दो तरह के मरतबों या रुतबों को साबित करती है। पहला मरतबा यह है कि इस किताब के पोशिदा मक़ाम को कोई शख्स छू या मस नहीं कर सकता और हर किस्म के मस से महफूज़ है और मक़ामे तंज़ील यह है कि आम लोगों के लिये काबिले फ़हम है। (यानी एक पोशिदा मअना है कि उस को कोई शख्स जान नहीं सकता और दूसरे आम मअना हैं कि हर शख्स उस को समझ सकता है।)

जो नतीजा मुनदर्जा बाला आयात से या गुज़श्ता आयात से हासिल होता है वह इल्लल मुतहहरून की इसतिसना है यानी सिवा ए उन लोगों के जो कुरआने करीम की हकीकत और तावील से बा ख़बर हैं। (उन के अलावा कोई शख्स उस को छू

नहीं सकता) और यह सुबूत इस आयते शरीफ़ा से कि अल्लाह के सिवा किसी को तावील का इल्म नहीं है, के मज़मून की नफ़ी के मनाफ़ी नहीं है क्योंकि दो आयात के बा हमीं इंज़ेमाम से ताबेईयत और इस्तिक़लाल का नतीजा हासिल होता है यानी इस का मतलब यह है कि खुदा वंदे आलम उन हक़ायक़ के साथ अपने इल्म में मुस्तक़िल है और उस के सिवा उन हक़ायक़ को कोई नहीं समझ सकता मगर खुदा वंदे आलम की इजाज़त और तालीम के साथ।

जैसा कि इल्में ग़ैब है जो बहुत ज़्यादा आयात के मुताबिक़ सिर्फ़ खुदा वंद से मख़सूस है लेकिन एक आयत में बाज़ लोग उस के बरगुज़िदा और पसंदीदा है और इस कायदे से मुसतसना है।

इरशाद होता है:

और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही इल्में ग़ैब को जानता है और उस के सिवा कोई दूसरा इल्में ग़ैब से वाक़िफ़ नहीं है मगर वह बरगुज़िदा रसूल जिन पर वह राज़ी है।

(सूरह जिन आयत 27)

इस कलाम से मजमूई तौर पर यह नतीजा निकलता है कि इल्मे ग़ैब सिर्फ़ खुदा वंदे आलम से मखसूस है और उस के अलावा कोई दूसरा ग़ैब को नहीं जान सकता मगर उस के इज़्ज और इजाज़त से।

हाँ, कुरआने मजीद की इन आयात के मुताबिक़ खुदा वंद के पाक बंदे कुरआन की हकीकत और असरार को समझ सकते हैं और इस आयते करीमा:

खुदा वंद चाहता है कि हर किस्म की ना पाकी और पलीदी को पैग़म्बरे अकरम (स) और उन के अहले बैत (अ) और खानदाने रिसालत से दूर कर के तुम को हर ऐब से पाक और मुबर्रा कर दे। (सूरह अहज़ाब आयत 33), की रू से जो मुतवातिर अखबार या अहादीस के मुताबिक़ अहले बैते पैग़म्बर के हक़ में नाज़िल हुई है। पैग़म्बरे अकरम और खानदाने रिसालत खुदा वंदे आलम के पाक बंदों में से हैं और कुरआनी तावील का इल्म रखते हैं।

13. कुरआने मजीद नासिख और मंसूख का इल्म रखता है।(1)

कुरआने मजीद में अहकाम पर मबनी आयात के दरमियान बाज़ ऐसी आयात मौजूद है कि जो नाज़िल होने के बाद पहले नाज़िल शुदा अहकामी आयात की जगह ले लेती हैं। जिन पर इस से पहले अमल होता था लिहाज़ा इन आयात के नाज़िल होने के साथ ही पहले मौजूद अहकाम खत्म हो जाते हैं, इस तरह पहली आयात मंसूख हो जाती हैं और बाद में आने वाली आयात जो पहली आयात पर हाकिम बन कर आई हैं उन को नासिख कहा जाता है। जैसा कि पैगम्बरे अकरम (स) की बेसत के आगाज़ में मुसलमानों के हुकम मिला था कि दूसरी अहले किताब क्रौमों के साथ बा हमीं मुफ़ाहेमत और मेल जोल से ज़िन्दगी बसर करें। चुँनाचे अल्लाह तआला फ़रमाता हैं:

[1]. तफ़सीरे अयाशी जिल्द 1 पेज 16, तफ़सीरे कुम्मी जिल्द 1 सूरह बकरा और तफ़सीरे नुरुस सक़लैन जिल्द 1 पेज 22

[2]. क्योकि तावील के मअना का बयान, इस ऐतेराफ़ के साथ कि खुदा के सिवा कोई तावील के मअना नही जान सकता, मुतनाकिज़ है लेकिन इस बात को ऐहतेमाल के साथ बयान करते हैं।

[3]. हज़रते युसुफ़ का ख़्वाब सूरह युसुफ़ की दूसरी आयत में बयान हुआ है। (जब हज़रते युसुफ़े ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप मैने ख़्वाब में देखा है कि गयारह सितारे, चाँद सूरज, मुझे सजदा कर रहे हैं।) और इस आयत की तावील आयत नम्बर 100 में हज़रत युसुफ़ की

ज़बानी बयान की गई है। (चंद सालों की जुदाई के बाद हज़रत युसुफ़ के माँ बाप और भाई उन से मिलने के लिये पहुँचे और हज़रत युसुफ़ ने उन को तख़्त पर बैठाया और उन के माँ बाप और भाई हज़रत युसुफ़ के सामने सजदा रेज़ हो गये। उस वक़्त हज़रत युसुफ़ ने फ़रमाया, ऐ मेरे माँ बाप यह मेरे ख़्वाब की तावील है।)

और मिस्र के बादशाह का ख़्वाब सूरह युसुफ़ की 43वीं आयत में बयान हुआ है। (बादशाह ने देखा कि सात कमज़ोर और लाग़र गायें, सात मोटी और फ़रबा गायों को खा रही हैं और इसी तरह सात ख़ुश्क़ ख़ोशे, सात सब्ज़ और रस भरे ख़ोशे को खा रहे हैं। और उस की तावील आयत नम्बर 47 से 49 में हज़रत युसुफ़ की ज़बानी बयान हुई है। (हज़रत युसुफ़ ने फ़रमाया,) सात साल मुतवातिर खेती बाड़ी करें और जो कुछ हासिल हो उस को महफूज़ रखें और किफ़ायत शियारी से काम लें और थोड़ा खायें, उसके बाद सात साल सख़्त क़हत साली और ख़ुश्क़ साली आयेगी और जो कुछ तुम ने पहले सात साल में कमाया और महफूज़ किया होगा उन सात सालों में ख़त्म हो जायेगा और फिर उस के बाद आठवे साल बारिश होगी और लोग ख़ुशहाल हो जायेंगे।

और कैद में हज़रत युसुफ़ के साथ रहने वाले कैदियों के ख़्वाब सूरह युसुफ़ की 36 वीं आयत में बयान हुए हैं। (हज़रत युसुफ़ के साथ दो जवान जो बादशाह के गुलाम थे, एक ने हज़रत युसुफ़ से कहा कि मैंने ख़्वाब में देखा है कि अंगूर के खोशों को निचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैंने ख़्वाब में देखा है कि अपने सर पर रोटियों की टोकरी उठाए हुए हूँ और परिन्दे, चीलें और कौवें उसे खा रहे हैं। उन ख़्वाबों की ताबीर हज़रत युसुफ़ की ज़बानी सूरह युसुफ़ की 41वीं आयत में

बयान हुई है कि हज़रते युसुफ़ ने ख़्वाबों की ताबीर करते हुए फ़रमाया, ऐ मेरे क़ैदी साथियों तुम में से पहला बादशाह का साक़ी बनेगा और दूसरा फ़ाँसी पर चढ़ेगा और परिन्दे उस के सर को खायेगें।)

14. कुरआने मजीद में ज़र्य और इंतेबाक़

इस बात के पेशे नज़र कि कुरआने मजीद एक ऐसी किताब है जो सब के लिये और हमेशा बाक़ी रहने वाली है और उस की छुपी हुई बातें भी ज़ाहिर बातों की तरह जारी हैं और मुस्तक़बिल और माज़ी के साथ भी ज़माने ए हाल की तरह से हैं। जैसे एक किताब की आयतें जो नाज़िल होने के ज़माने में मुसलमानों के लिये फ़रायज़ मुअय्यन करती हैं, नाज़िल होने के बाद उन मोमिनों के लिये जो पहले मोमिनों जैसी शर्तें रखते हों, किसी कमी ज़ियादती के बिना फ़रायज़ को मुअय्यन करती हैं। ऐसी आयतें जो मुख्तलिफ़ सिफ़त रखने वाले लोगों की तारीफ़ या उन की बुराई करती हैं या उन को खुशख़बरी सुनाती या खुदा वंद से डराती हैं। जो लोग मुस्तक़बिल या हर ज़माने में वही सिफ़ात रखते हों और जहाँ कहीं भी हों, वह उन ही आयतों की लिस्ट में आते हैं।

लिहाज़ा एक आयत का नाज़िल होना उसी आयत से मखसूस नही होगा यानी जो आयत एक खास शख्स या फ़र्द के बारे में नाज़िल हुई है वह अपने नाज़िल होने के बारे में सीमित नही है बल्कि उन्ही खुसूसियात और सिफ़ात में शामिल होगी जो किसी शख्स या फ़र्द के बारे में आयेगी वह आयत उन के अनुसार भी होगी और यह खुसूसियात वही हैं जिन के रिवायात के लिहाज़ से जर्य (जारी होना) कहा जाता है।

पाँचवें इमाम, इमाम मुहम्मद बाक़िर (अ) एक रिवायत में फ़रमाते हैं कि अगर ऐसा हो कि एक आयत जब एक क़ौम के बारे में नाज़िल हुई है और क़ौम मर गई है तो उस आयत का मफ़हूम भी ख़त्म हो जायेगा तो कुरआन में कोई चीज़ बाक़ी नही रहेगी लेकिन कुरआन तो जब तक आसमान और ज़मीन बाक़ी हैं जारी है और रहेगा। लिहाज़ा हर क़ौम के लिये एक आयत है जो उस को पढ़ती है उस से अच्छा और बुरा फ़ायदा उठाती है।[i]

कुछ दूसरी हदीसों[ii] में कुरआने मजीद के बातिन यानी कुरआने मजीद के इन्तेबाक़ को भी जो वज़ाहत (तफ़सीर) के ज़रिये पैदा होता है जर्य में शामिल किया जाता है।

15. कुरआने मजीद के अल्फ़ाज़ की तफ़सीर, उस की शुरुवात और तरक्की

कुरआने मजीद के अल्फ़ाज़ व इबारात और बयानात की तफ़सीर उस के नाज़िल होने के ज़माने से ही शुरु गो गई थी और खुद पैग़म्बरे अकरम (स) कुरआन की तालीम उस के मअनों के बयानात और आयतों के मक़सद की वज़ाहत किया करते थे जैसा कि खुदा वंदे आलम का इरशाद है:

हम ने तुम पर किताब नाज़िल की है ताकि जो कुछ हम ने नाज़िल किया है उस को लोगों के लिये बयान करो। (सूरह नहल आयत 44)

और फिर फ़रमाया:

खुदा वंद वह है जिस ने उम्मी (अनपढ़) लोगों में से एक नबी भेजा कि उस की आयतों को लोगों के लिये पढ़ कर सुनाता है और उन के नफ़सों को पाक करता है और उन को किताब और हिकमत की तालीम देता है। (सूरह जुमा आयत 2)

आँ हज़रत (स) के ज़माने में आप के हुक्म से कुछ लोग कुरआने मजीद की क़राअत, ज़बानी याद करना और उस को महफूज़ रखने की कोशिशों में लगे रहते

थे जिन को कुरा (कारी) कहा जाता था। आँ हज़रत (स) की वफ़ात के बाद आप के सहाबा और उन के बाद सब मुसलमान कुरआने मजीद की तफ़सीर में मशगूल और मसरुफ़ रहे और आज तक मसरुफ़ हैं।

16. तफ़सीर का इल्म और मुफ़स्सेरीन के तबक़ात

पैग़म्बरे अकरम (स) की वफ़ात के बाद कुछ सहाबा जैसे ऊबई बिन काब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अबू सईद खिदरी, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अनस बिन मालिक, अबू हरैरा, अबू मूसा, और सबसे मशहूर अब्दुल्लाह बिन अब्बास कुरआन की तफ़सीर में मशगूल थे।

तफ़सीर में उन का तरीक़ ए कार यह था कि कभी कभी कुरआन की आयतों के मआनी से मुतअल्लिक़ जो कुछ जो कुछ उन्होने पैग़म्बरे इस्लाम (स) से सुना था कि उस को रिवायत और हदीस के पैराए में नक़ल किया करते थे।[[iii]] यह हदीसों कुरआन के शुरु से लेकर आखिर तक लगभग 240 से ज़्यादा हैं। जिन में से बहुत सी ग़ैर मुसतनद और ज़ईफ़ हदीसों भी शामिल हैं और बाज़ का मत्न काबिले इंकार है और कभी कभी आयतों की तफ़सीर से मुतअल्लिक़ (इंफ़ेरादी तौर पर) इज़हारे ख़्याल किया गया है बग़ैर इसके कि आँ हज़रत से उस को मंसूब करें। इस तरह अपने ख़्यालात और मतालिब को मुसलमानों पर ठूँसा गया है।

अहले बैत के मुतअख़ि़र मुफ़स्सेरीन और उलामा इस क्रिस्म की रिवायात और अहादीस को तफ़सीर में अहादीसे नबवी में शुमार करते थे क्योकि (उनके ख़्याल के मुताबिक़) सहाबा ने कुरआने मजीद को इल्म खुद रिसालत माँब (स) से सीखा था और बईद है कि खुद उन्होने उस में कमी बेशी की हो।

लेकिन उस से मुतअल्लिक़ कोई कतई दलील नही है इस के अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी रिवायतें भी हैं जो आयतों के असबाबे नुज़ूल और तारीख़ों क्रिस्सों में दाख़िल गई हैं और इसी तरह उन्ही रिवायाते सहाबा में बहुत से यहूदी उलामा जो मुसलमान हो गये थे जैसे काबुल अहबार वग़ैरह की बहुत सी अदाहीस शामिल हो गई हैं लेकिन किसी सनद के बग़ैर।

इसी तरह इब्ने अब्बास अकसर औकात आयतों के मअना को वाज़ेह करने के लिये शेरों से मिसालें लाते थे जैसा कि नाफ़ेअ बिन अरज़क़ के सवालात के जवाबात में इब्ने अब्बास से एक रिवायत में आया है कि उन्होने 200 से ज़्यादा सवालात के जवाब में अरबी शेरों से मिसाल देते हैं और सुयूती अपनी किताब अल इतक़ान[iv] में 190 सवालात लाये हैं। इसी तरह ऐसी रिवायात और अहादीस जो मुफ़स्सेरीन सहाबा से हम तक पहुची हैं उन को अहादीसे नबवी में शामिल नही

किया जा सकता और उन में सहाबा की नज़री मुदाखेलत की नफ़ी भी नही की जा सकती है। लिहाज़ा मुफ़स्सेरीन सहाबा पहले तबके में आते हैं।

दूसरा तबका: दूसरा तबका ताबेईन का गिरोह है जो मुफ़स्सेरीन सहाबा के शागिर्दों में से हैं जैसे मुजाहिद[v], सईद बिन जुबैर, इकरमा, ज़हाक और इसी तबके के दूसरे मुफ़स्सेरीन जैसे हसन बसरी, अता बिन अबी रियाह, अता बिन अबी मुस्लिम, अबुल आलिया, मुहम्मद बिन काब करज़ी, क़तादा, अतिया, ज़ैद बिन अस्लम और ताऊस यमानी वगैरह।

तीसरा तबका: तीसरा तबका दूसरे तबके शागिर्दों पर मबनी है जैसे रबी बिन अनस, अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, अबू सालेह कलबी वगैरह, तफ़सीर में ताबेईन का तरीक़ ए कार यह था कि आयतों की तफ़सीर को भी पैग़म्बरे अकरम (स) से बराहे रास्त या सहाबा से नक़ल करते हैं और कभी आयतों के मआनी को बगैर किसी से मंसूब किये लिख देते थे। वह अपने इज़हारे राय पर ऐतेराज़ करते थे बाद के मुफ़स्सेरीन ने उन अक़वाल को अहादीसे नबवी में दर्ज किया। ऐसी रिवायात व अहादीस को मौक़ूफ़ा कहते हैं। क़दीम मुफ़स्सेरीन उन्ही दो तबको पर मुशतमिल हैं।

चौथा तबक्का: यह तबक्का पहले तबक्के के मुफ़सेरीन की तरह है जैसे सुफ़ायन बिन ओनैया, वकी बिन जर्हाह, शोअबा बिन हुज्जाज, अब्द बिन हमीद वगैरह और मशहूर मुफ़स्सिर इब्ने जरीर तबरी इसी तबक्के से ताअल्लुक रखते हैं।

इस गिरोह का तरीक़ा ए कार भी ऐसा था कि सहाबा और ताबेईन के अक़वाल को रिवायात की सूरत में अपनी तालीफ़ात में दाख़िल कर लेते थे लेकिन इफ़ेरादी नज़र और राय से परहेज़ करते थे। उन में से सिवाए इब्ने जरीरे तबरी के जो अपनी तफ़सीर में कभी कभी अक़वाल में से बाज़ को तरजीह देते थे और उस पर इज़हारे ख़्याल किया करते थे। मुतअख़्ख़िर तबक्का उन ही में से शुरू होता है।

पाँचवा तबक्का: इस गिरोह में ऐसे लोग शामिल हैं जो अहादीस व रिवायात को सनद के बगैर ही अपनी तालीफ़ात में दर्ज कर लेते थे और सिर्फ़ नक़ले अक़वाल पर ही क़नाअत करते थे।

कुछ उलामा का क़ौल है कि तफ़सीर की तरतीब और तंज़ीम में गड़बड़ यहीं से शुरू हुई है और उन तफ़ासीर में बहुत ज़्यादा अक़वाल किसी सनद और सेहत व ऐतेबार के बगैर दाख़िल हो गये हैं और सनद की सही तशख़ीस सहाबा और

ताबेईन से मंसूब की गई है। इस हरज मरज के सबब बहुत ज़्यादा अक़वाल तफ़सीरों में दाख़िल हो गये हैं जिन से अक़वाल की सेहत व सनद मुतज़लज़ल हो कर रह गई है।

लेकिन अगर कोई शख़्स रिवायते मुअनअन[vii] (इंतेसाबी) पर ग़ौर व फ़िक्र करे तो कोई शक व शुबहा नहीं रखेगा कि उन रिवायात व अदाहीस में बनावटी (जाली हदीसों) बहुत ज़्यादा हैं। मुदाफ़ेअ और मुतनाकिज़ अक़वाल एक सहाबी या ताबेई से मंसूब किये गये हैं और ऐसे किस्से और हिकायतें जो बिल्कुल झूठी हैं, उन रिवायतों में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हैं। आयतों के असबाबे नुज़ूल और नासिख व मंसूख के बारे में वह रिवायतें जो कुरआनी आयात के सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक़ नहीं हैं। एक दो नहीं जिन से चश्म पोशी की जा सके। यहाँ तक कि इमाम बिन हंबल (जो ख़ुद इस तबक़े के वुजूद में आने से पहले थे) ने फ़रमाया है कि तीन चीज़ों की बुनियाद नहीं है।

(1) लड़ाई

(2) खूनरेज़ जंग

(3) तफ़सीरी रिवायतें। और ऐसे ही इमाम शाफ़ेई का बयान है कि इब्ने अब्बास से मरवी हदीसों में से सिर्फ़ 100 हदीसों साबित शुदा है।

छठा तबका: इस जमाअत में ऐसे मुफ़स्सेरीन शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ उलूम की पैदाईश और तरक्की के बाद पैदा हुए हैं और हर इल्म के माहेरीन ने अपने मखसूस अंदाज़े फ़न के ज़रिये कुरआन की तफ़सीर शुरु की। इल्मे नहव के माहेरीन ने नहव के ज़रिये जैसे जुजाज़, वाहिदी और अबी हय्यान[vii] जिन्होंने कुरआनी आयात पर ऐराब लगाने के मौजू पर बहस की है, फ़साहत व बलागत के मौजू पर अल्लामा ज़मख़शरी[viii] ने अपनी किताब अल कश्शाफ़ में इज़हारे ख़याल किया है। इल्मे कलाम के माहेरीन ने इल्मे कलाम के ज़रिये अपनी किताब की वज़ाहत की है जैसे इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने तफ़सीरे कबीर में, आरिफ़ों में इरफ़ान के ज़रिये जैसे इब्ने अरबी और इब्ने रज़ज़ाके काशी ने अपनी अपनी तफ़सीरों में, इल्मे अख़बार (हदीस) के आलिमों के अख़बार (अहादीस व रिवायात) नक़ल कर के जैसे सालबी ने अपनी तफ़सीर में, फ़कीहों ने फ़िक़ह के वसीले से जैसे कुरतुबी और बाज़ दूसरे हज़रात ने भी मख़लूत तफ़सीरें, उलूमे मुतफ़र्रका के बाब में लिखी हैं जैसे तफ़सीरे रुहुल बयान, तफ़सीरे रुहुल मआनी और तफ़सीरे नैशा पुरी वग़ैरह।

आलिमे तफ़सीर के लिये उस ग़िरोह की ख़िदमत यह हुई कि फ़ने तफ़सीर उस इंजेमाद और रुकूद की हालत से बाहर आ गया जो पहले पाँच तबकों में मौजूद था और इस तरह एक नये मरहले में दाख़िल हो गया जो बहस व तमहीस का मरहला था। अगर कोई शख़्स निगाहे इंसाफ़ से देखे तो मालूम होगा कि इस तबके की

तफ़सीरी बहसों में इल्मी नज़रियात कुरआन पर ठूँसने की कोशिश की गई है लेकिन खुद कुरआनी आयात पर उन मज़ामीन के लिहाज़ से बहस नहीं हुई है।

17. शिया मुफ़स्सेरीन और उनके मुख्तलिफ़ तबक्रात का तरीक़ ए कार

जिन गिरोहों के मुतअल्लिक़ पहले ज़िक़र किया गया है कि वह अहले सुन्नत के तबक्रात के मुफ़स्सेरीन से ताअल्लुक़ रखते हैं और उन का तरीक़ ए कार एक खास रविश पर मबनी है जो शुरु से ही तफ़सीर में जारी हो गई थी और वह है अदाहीसे नबवी का सहाबा केराम और ताबेईन के अक़वाल के साथ मामला, जिन में मुदाख़ेलते नज़रिया ऐसे ही है जैसे नस्से कुरआन के मुकाबले में इज्तेहाद हो, यहाँ तक कि उन रिवायात में जालसाज़ी, तज़ाद, तनाकुज़ आशकार होने लगा और ऐसे ही बनावट और जाल के ज़रिये उन मुफ़स्सेरीन को मुदाख़ेलते नज़रिया का बहाना हाथ आ गया।

लेकिन वह तरीक़ ए कार जो शियों ने कुरआनी तफ़सीर में अपनाया है वह मुनदरजा बाला रविश के बर ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा इख़्तिलाफ़ के नतीजे में मुफ़स्सेरीन की तबक्रा बंदी भी दूसरी तरह की है।

शिया हज़रात कुरआने मजीद की नस्से शरीफ़ा के मुताबिक़ पैग़म्बरे अकरम (स) की हदीस को कुरआनी आयात की तफ़सीर में हुज्जत समझते हैं और सहाब ए केराम और ताबेईन के अक़वाल के बारे में दूसरे तमाम मुसलमानों की तरह बिल्कुल किसी हुज्जत के कायल नही है अलबत्ता सिवाए पैग़म्बरे अकरम (स) से मंसूब अहादीस के बग़ैर, उस के अलावा शिया हज़रात हदीसे मुतवातिर की तरतीब से अहले बैत (अ) और आईम्म ए अतहार के अक़वाल को पैग़म्बरे अकरम (स) की अहादीस की कड़ियाँ जान कर उन को हुज्जत समझते हैं। इस तरह तफ़सीरी अहादीस व रिवायात को नक़ल और बयान करने के लिये सिर्फ़ ऐसी रिवायात पर इक्तेफ़ा करते हैं जो फ़क़त पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) से नक़ल हुई हों, लिहाज़ा उन के मुनदर्जा ज़ैल तबक़ात हैं:

पहला तबक़ा: इस गिरोह में वह लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिवायाते तफ़सीर को पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) से सीखा है और अपने उसूल में बे तरतीबी साबित कर के उन की रिवायत शुरु कर दी है। जैसे ज़ोरारा, मुहम्मद बिन मुस्लिम[ix], मारुफ़ और जरीर वग़ैरह।

दूसरा तबका: यह हज़रात तफ़सीर की किताबों के मुअल्लिफ़ और मुफ़स्सिर हैं। जैसे फ़ुरात बिन इब्राहीम, अबू हमज़ा सुमाली, अयाशी, अली बिन इब्राहीम कुम्मी और नोमानी, साहिबे तफ़सीर हैं। उन हज़रात का शिव ए कार अहले सुन्नत के चौथे तबके के मुफ़स्सेरीन की तरह यह था कि लिखी हुई रिवायात को जो पहले तबके से हाथ लगी हों, सनदों के साथ अपने तालीफ़ात में दर्ज करते थे और उन में हर किस्म की नज़री दख़ालत से परहेज़ करते थे।

इस अम्र के पेशे नज़र कि आईम्म ए तक दस्तरसी का ज़माना बहुत तूलानी था जो तक़रीबन तीन सौ साल तक जारी रहा, फ़ितरी तौर पर उन दोनो तबकों को ज़माने के लिहाज़ के एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है क्योंकि यह आप में घुल मिल गये हैं और इसी तरह जो लोग रिवायात व अहादीस को असनाद और दस्तावेज़ात के बग़ैर दर्ज करें बहुत कम थे। इस बारे में नमूने के तौर पर तफ़सीरे अयाशी का नाम लिया जा सकता है कि जिस में से अयाशी के एक शागिर्द ने उन की तालीफ़ में से हदीसों की सनदों और दस्तावेज़ों को इख़्तिसार के सबब निकाल दिया था और उस का तैयार किया हुआ नुस्खा अयाशी के नुस्खे की जगह रायज हो गया था।

तीसरा तबका: यह गिरोह अरबाबे उलूमे मुतफ़र्रका पर मुश्तमिल है जैसे सैयद रज़ी अपनी अदबीयत के लिहाज़ से, शेख तूसी कलामी तफ़सीर के लिहाज़ से, जो तफ़सीरे तिबयान के नाम से मशहूर है और सदुरल मुतअल्लेहीन शिराज़ी[x] अपनी फ़लसफ़ी के लिहाज़ से मैबदी गुनाबादी अपनी इरफ़ानी तफ़सीर के लिहाज़ से, शेख अब्दे अली जुवैज़ी, सैयद हाशिम बैहरानी, फ़ैज़ काशानी, तफ़सीर नुरुस सक़लैन में, बुरहान और साफ़ी वग़ैरह, जिन्होंने बाज़ दूसरी तफ़ासीर में से उलूम जमा किये हैं। शेख तबरसी अपनी तफ़सीर मजमउल बयान में, जिस में उन्होंने लुगत, नहव, कराअत, कलाम और हदीस वग़ैरह के लिहाज़ से बहस की है।

18. खुद कुरआने मजीद कैसी तफ़सीर कबूल करता है?

इस सवाल का जवाब पिछले बाबों से मालूम हो जाता है क्योंकि एत तरफ़ तो कुरआने मजीद ऐसी किताब, जो उम्मी और हमेशगी है और तमामों इंसानों को ख़िताब करते हुए अपने मक़ासिद की तरफ़ रहनुमाई और हिदायत करती है। इस तरह सब इंसानों के चैलेंज करती हैं (कि इस तरह की किताब ला कर दिखाओ) और अपने आप को नूर (नूरानी करने वाली) और हर चीज़ को वाज़ेह बयान करने वाली किताब कह कर तआरुफ़ कराती है अतबत्ता अपने वाज़ेह और रौशन होने में दूसरों की मोहताज नहीं है।

कुरआने मजीद यह भी चैलेंज करता है कि यह किसी इंसान का कलाम नहीं है और फ़रमाता है[xi] कि कुरआन यकसाँ कलाम है जिस में किसी किस्म का फ़र्क नहीं। (इस की आयात में) और जो फ़र्क ज़ाहिरी तौर पर लोगों को लोगों को नज़र आता है वह लोग अगर कुरआन में ग़ौर व फ़िक्र और तदब्बुर करें तो हल हो जाता है और अगर यह कुरआन खुदा का कलाम न होता तो हरगिज़ इस किस्म का न होता और अगर ऐसा कलाम अपने मक़ासिद के रौशन होने में किसी कमी, चीज़ या आदमी का मोहताज होता तो यह दलील और बुरहान पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि अगर कोई मुखालिफ़ या दुश्मन ऐसे इख़्तिलाफ़ी मसायल दरयाफ़्त करे जो खुद की कुरआन की लफ़्ज़ी दलालत के ज़रिये हल न हो और किसी दूसरे ग़ैरे लफ़्ज़ी तरीके से हल हों जैसे पैग़म्बरे अकरम (स) की तरफ़ रुजू करने से हल हो सकें तो आँ हज़रत कुरआनी शवाहिद के बग़ैर ही उन को हल कर दें यानी आयत का मतलब ऐसा और यूँ हैं तो इस सूरत में वह मुखालिफ़ शख्स जो आँ हज़रत की इस्मत और सदाक़त का मोतरिफ़ नहीं है वह अगर क़ाने और मुतमईन नहीं हो सकेगा। दूसरे अल्फ़ाज़ में पैग़म्बरे अकरम (स) का बयान और इख़्तिलाफ़ात को हल करना और वह भी कुरआनी शहादत और दलील के बग़ैर तो वह सिर्फ़ ऐसे शख्स के लिये मुफ़ीद और काबिले क़बूल होगा जो नबूवत और आँ हज़रत (स) की इस्मत और पाकी पर ईमान रखता हो। लेकिन इस आयते शरीफ़ा में, क्या वह लोग कुरआन में ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते अगर यह कुरआन खुदा के अलावा किसी

और जानिब से आया होता तो इस में बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ पाते। (सूरह निसा आयत 82) एक एहितजाज और उन लोगों की तरफ़ इशारा और दावत है जो नवूबत और आँ हज़रत (स) की इस्मत व तहारत पर ईमान नहीं रखते। लिहाज़ा आँ हज़रत का बयान जो कुरआनी सुबूत के बग़ैर हो उन पर सादिक़ नहीं आया।

दूसरी तरफ़ कुरआने मजीद खुद पैग़म्बरे अकरम (स) के बयान और तफ़सीर पर और पैग़म्बरे अकरम (स) अपने अहले बैत की तफ़सीर की ताईद करते हैं।

इन दो दीबाचों का नतीजा यह है कि कुरआने मजीद में बाज़ आयात बाज़ दूसरी आयात के साथ मिल कर तफ़सीर होती हैं और पैग़म्बरे अकरम (स) और आप के अहले बैत (अ) की हालत कुरआने मजीद के बारे में मासूम उस्तादों जैसी है। जो अपनी तालीम में हरगिज़ ख़ता नहीं करते हैं। लिहाज़ा जो तफ़सीर वह करते हैं वह कुरआने मजीद की आयात को बा हम ज़म कर के तफ़सीर करने से कोई फ़र्क़ नहीं रखती।

[ii]. तफसीरे अयाशी, कुम, हिस्स ए अव्वल, पेज 10

[iii]. पिछला हवाले के पहले हिस्से का 11 वा पेज, फुज़ैल की हदीस इमाम बाकिर (अ) से

[iii]. आखिर इतक़ान, सुयूती, काहिरा, 1370 हिजरी

[iv]. अल इतक़ान पेज 120, 133

[v]. मुजिहद मशहूर मुफ़स्सिर, वफ़ात 100,103 हिजरी कमरी। (तहज़ीबुल अस्मा नोवी)

सईद बिन जुबैर, मशहूर मुफ़स्सिर और इब्ने अब्बास के शागिर्द जो हुज्जाज बिन युसुफ के हाथों 94 हिजरी में शहीद हुए। (तहज़ीब)

इकरमा, इब्ने अब्बास, के शागिर्द और गुलाम जो सईद बिन जो सईद बिन जुबैर का शागिर्द था।

ज़हाक, इकरमा के शागिर्दों में से थे। (लिसानुल मीज़ान)

हसन बसरी, मशहूर ज़ाहिद और मुफ़स्सिर 110 हिजरी में वफ़ात पाई। (तहज़ीब)

अता बिन अबी रियाह, फ़कीह और मशहूर मुफ़स्सिर जो इब्ने अब्बास के शागिर्दों में से थे वफ़ात 115 हिजरी। (तहज़ीब)

अता बिन अबी मुस्लिम, ताबेईन में से थे और इब्ने जुबैर के शागिर्द थे। वफ़ात 133 हिजरी। (तहज़ीब)

अबुल आलिया, आईम्म ए मुफ़स्सेरीन में से थे जो ताबेईन में शुमार होते थे। पहली सदी हिजरी में ज़िन्दा थे।

मुहम्मद बिन काबे करज़ी, मशहूर मुफ़स्सिर और यहूदी नस्ल में से थे उन का ताअल्लुक बनी कुरैज़ा से था। पहली सदी हिजरी में ज़िन्दा थे।

क़तादा, फ़ने तफ़सीर के बुज़ुर्गों में से शुमार होते हैं, हसने बसरी और इकरमा के शागिर्दों में से थे। वफ़ात 117 हिजरी। (तहज़ीब)

अतिया, किताबे लिसान के लेखक, उन का ज़िक्र इब्ने अब्बास ने किया है। (लिसान)

ज़ैद बिन असलम, उमर बिन ख़त्ताब के गुलाम, मशहूर फ़कीह और मुफ़स्सिर थे वफ़ात 136 हिजरी।

ताऊस यमानी, अपने ज़माने के मशहूर आलिम और इब्ने अब्बास के शागिर्द थे वफ़ात 106 हिजरी।

1. रिवायते मौकूफ़ा, ऐसी हदीस को कहते हैं जिस का रावी मालूम न हो या उस का ज़िक्र न किया गया हो।

2. अबू सुफ़यान बिन ओनैया मक्की, ताबेईन के दूसरे तबके ताअल्लुक़ रखते थे और अपने ज़माने के उलामा और मुफ़स्सेरीन में से थे वफ़ात 198 हिजरी (तहज़ीब)

वकी बिन जर्हाह, ताबेईन के दूसरे तबके में से थे, कुरआन के मुफ़स्सिर थे। वफ़ात 197 हिजरी। (हिजरी)

शोअबा बिन हुज्जाज बसरी, ताबेईन के दूसरे तबके में शुमार होते थे, मुफ़स्सिरे कुरआन थे वफ़ात 160 हिजरी।

अब्द बिन हमीद, साहिबे तफ़सीर और ताबेईन के दूसरे तबके से ताअल्लुक़ रखते थे। दूसरी सदी हिजरी में ज़िन्दा थे।

इब्ने जरीर तबरी, मुहम्मद बिन जरीर बिन यज़ीद तबरी अहले सुन्नत के मशहूर तरीन उलामा में से थे। वफ़ात 310 लिज़ानुल मीज़ान)

[vi]. ऐसी रिवायत या हदीस को कहते हैं कि जो कई वसीलों से पैगम्बरे अकरम (स) से मंसूब होती हो। यानी रावी कहता है कि मैं ने यह हदीस फ़लाँ से सुनी है, उस ने फ़लाँ से और उस ने फ़लाँ से.....वगैरह।

[vii]. जुज्जाज, इल्में नहव के आलिम, वफ़ात 310 हिजरी। (रैहानतुल अदब)

वाहिदी, मुफ़स्सिर और इल्मे नहव के मुफ़स्सिर वफ़ात 468 हिजरी। (रैहानतुल अदब)

अबू हय्यान अंदलुसी, नहव के आलिम, मुफ़स्सिर और कारी, 745 हिजरी में मिस्र में वफ़ात पाई। (रैहानतुल अदब)

[viii]. ज़मख़शरी, उलामा ए अदब में मशहूर हैं, उनकी किताब तफ़सीरे क़शाफ़ बहुत मारुफ़ है। वफ़ात 538 हिजरी। (कशफ़ुज़ जुन्न)

इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी, मुतकल्लिम और मशहूर मुफ़स्सिर, साहिबे तफ़सीरे मफ़ातिहुल ग़ैब वफ़ात 606 हिजरी। (कशफ़ुज़ जुन्न)

अब्दुरज़्ज़ाक़ काशी, छठी सदी हिजरी के मशहूर आरिफ़ उलामा में से हैं। वफ़ात 720, 751 हिजरी। (रैहानतुल अदब)

अहमद बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम, साहिबे तफसीर सालबी वफ़ात 726, 727 हिजरी।
(रैहानतुल अदब)

मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी बकर, वफ़ात 668 हिजरी। (रैहानतुल अदब)

तफसीरे रुहुल बयान, तालीफ़ शेख़ इस्माईल हक्की इस्लामबुली। वफ़ात 1137 (मुलहकात
कश्फ़ुज़ जुनून)

तफसीरे रुहुल मआनी, तालीफ़ शहाबुद्दीन मुहम्मद आलूसी बग़दादी। वफ़ात 127 हिजरी।
(मुलहकाते कश्फ़ुज़ जुनून)

गरायबुल कुरआन के नाम से एक तफसीर है जो निज़ामुद्दीन हसनी कुम्मी नैशापुरी की
तालीफ़ है। वफ़ात 728 हिजरी। (मुलहकाते कश्फ़ुज़ जुनून)

[ix]. ज़ोरारा और मुहम्मद बिन मुस्लिम दोनो शिया फ़कीह थे। पाँचवे और छठे इमाम के
खास असहाब में से थे मारुफ़ और जरीर छठे इमाम के खास असहाब थे।

फ़रात बिन इब्राहीम कूफी साहिबे तफसीर हैं, (रैहानतुल अदब) अबू हमज़ा सुमाली फ़कीह,
चौथे और पाँचवे इमाम के खास शागिर्दों में से थे।

अयाशी, मुहम्मद बिन मसऊद कूफी समरकंदी, शिया उलामा में से हैं जो तीसरी सदी हिजरी में ज़िन्दा थे। (रैहानतुल अदब)

अली बिन इब्राहीम कुम्मी शिया मुहद्वेसीन में से थे, तीसरी सदी के आखिर और चौथी सदी के शुरु में ज़िन्दगी बसर की। (रैहानतुल अदब)

नोमानी, मुहम्मद बिन इब्राहीम नोमानी, शियों के बड़े उलामा और शेख कुलैनी के शागिर्दों में से थे और चौथी सदी हिजरी के शुरु में ज़िन्दा थे। (रैहानतुल अदब)

सैयद रज़ी, शियों के बड़े फ़ोक्रहा में से हैं, जो शेर व अदब के लिहाज से अपने ज़मानों वालों में मुम्ताज़ थे। नहजुल बलागा की तालीफ़ हैं। आपने 404 हिजरी या 406 हिजरी में वफ़ात पाई। (रैहानतुल अदब)

शेखुत तायफ़ा मुहम्मद बिन हसन तूसी, जो मुम्ताज़ शिया उलामा में से हैं, किताब तहज़ीब और इस्तिबसार जो कि चार मुसतनद शिया किताबों में से हैं उन की तालीफ़ात हैं। 460 हिजरी में वफ़ात पाई।

[x]. सदरुल मुतअल्लेहीन मुहम्मद बिन इब्राहीम शीराज़ी, मशहूर फ़लसफ़ी थे, आप ने 1050 हिजरी में वफ़ात पाई। आप की तालीफ़ात में असरारुल आयात और मजमूज ए तफ़ासीर शामिल हैं। (रौज़ात और रैहानतुल अदब)

मैबदी गुनाबादी, सैयद हाशिम बहरानी (साहिबे बुरहान, चार जिल्दों में वफ़ात 1107 हिजरी)

फ़ैज़ काशानी, मुल्ला मोहसिन जिन्होंने तफ़सीरे साफ़ी और असफ़िया लिखी। (वफ़ात 1091 हिजरी) (रैहानतुल अदब)

फ़ज़ल बिन हसन तबरसी अहम शिया उलामा में से हैं जो साहिबे तफ़सीरे मजमउल बयान हैं। यह तफ़सीर 10 जिल्दों में हैं। आप ने 548 हिजरी में वफ़ात पाई।

[xi]. सूर ए निसा आयत 82

19. बहस का नतीजा

वह नतीजा जो पिछले बाब से हासिल होता है वह यह है कि कुरआने मजीद की हकीकी तफ़सीर, वह तफ़सीर जो आयत में ग़ौर व ख़ौज़ और एक आयत को दूसरी आयत के साथ मिला कर पढ़ने से हासिल होती है दूसरे अल्फ़ाज़ में कुरआनी आयात की तफ़सीर के लिये हमारे सामने तीन तरीके हैं:

1. एक आयत की अलग तफ़सीर इन तमाम इल्मी व ग़ैर इल्मी मुक़द्दमों के साथ जो हमारे सामने मौजूद हैं।
2. एक आयत की तफ़सीर रिवायत व हदीस की मदद से कि जो आयत के ज़ैल में एक मासूम (पैग़म्बर या अहले बैत) से हम तक पहुँची है।
3. आयत की तफ़सीर तदब्बुर और ग़ौर व फ़िक्र की मदद से और आयत के मअना तमाम मरबूत आयात से हासिल करना और हत्तल इमकान रिवायात से इस्तेफ़ादा करना।

तीसरा तरीका वही है जिस के बारे में पिछले बाब में हम ने नतीजा अख़्ज किया है और वह ऐसा तरीका है कि पैग़म्बरे अकरम (स) और आप के अहले बैत (अ) अपनी तालिमात में उस की तरफ़ इशारा करते रहे हैं। जैसा कि पैग़म्बरे अकरम (स) फ़रमाते हैं कि और बेशक यह आयात बाज़ दूसरी आयात की तसदीक में आई हैं। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली (अ) फ़रमाते हैं कि कुरआने मजीद की बाज़ आयात बाज़ दूसरी आयात को बयान करती हैं और बाज़ आयात बाज़ दूसरी आयात के बारे में शहादत देती हैं।

मुन्दरजा बाला बयान से वाज़ेह होता है कि यह तरीका उस तरीके से जुदा है जो मशहूर हदीसे नबवी, जो शख़्स अपने अक़ीदे और नज़रिये के तहत कुरआन की तफ़सीर करता है वह अपना मकान आग में बनाता है, के मुताबिक़ अपनी अक़ीदे से कुरआन की तफ़सीर को मना किया गया है। क्योकि इस तरीके में कुरआने मजीद की तफ़सीर खुद कुरआन की आयात से होती हैं न कि मुफ़स्सिर की अपनी राय और अक़ीदे के साथ।

पहला तरीका काबिल ऐतेबार नही है और हक़ीकत में तफ़सीर अपनी मर्ज़ी और राय के मुताबिक़ है मगर यह कि तीसरे तरीके के साथ मुताबिक़त करे।

दूसरा तरीका काबिल ऐतेबार नहीं है जो उलामा ए इस्लाम अवायले इस्लाम में अंजाम देते थे और सदियों तक रायज रहा और उस पर अमल दर आमद होता रहा। (जैसा कि पिछले बाबों में जिक्र किया गया है।) और अब तक अहले सुन्नत मुफ़स्सेरीन में जारी और रायज है।

यह तरीका हा महदूद ज़रूरतों के मुकाबले में बहुत महदूद है क्योंकि 6 हज़ार कुछ सौ कुरआनी आयात में हमारे लिये सैकड़ों और हज़ारों इल्मी और ग़ैर इल्मी सवालात पैदा होते हैं। हमें इन सवालात और मुश्किलात का हल कहाँ से हासिल करना चाहिये?

आया रिवायात और अहादीस की तरफ़ रुजू करना चाहिये?

इस सूरत में ऐसी रिवायत और अहादीस जिन की तादाद दो सौ पचास अहादीस तक भी नहीं पहुचती और सब की सब अहले सुन्नत के ज़रिये हम तक पहुची हैं और उन में बहुत सी हदीसें ज़ईफ़ हैं और बाज़ दूसरी काबिल इंकार है और ऐसी अहादीस जो शिया ज़रियों और अहले बैत की ज़बानी हम तक पहुची हैं अगर इन को नज़र में रखें तो इन की तादाद हज़ारों तक पहुचती है। इन के दरमियान बहुत ज़्यादा अहादीस काबिले ऐतेबार मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल हा महदूद सवालात का जवाब देने के लिये काफ़ी नहीं है और इस के अलावा बहुत ज़्यादा

कुरआनी आयात भी हैं। जिन के बारे में खास और आम तरीकों से कोई हदीस नहीं मिलती।

आया उन मुश्किलात को हल करने के लिये उन को मुनासिब आयात की तरफ़ रुजू करना चाहिये जो इस तरीके में मना हैं?

या बहस से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिये और अपनी इल्मी ज़रूरत से चश्म पोशी कर लेनी चाहिये? इस सूरत में आयते शरीफ़ा:

हम ने तुम पर यह किताब (कुरआन) नाज़िल की ता कि हर चीज़ की हकीकत को वाज़ेह करे यानी हक़ को बातिल से जुदा करे।

सूरज से ज़्यादा रौशन दलील के क्या मअना होंगे? सूर ए निसा और सूर ए मुहम्मद की यह आयाते शरीफ़ा और सूर ए साद की 29 वी आयत जिस का यह मतलब है कि यह किताब बहुत मुबारक है जो हम ने तुम पर नाज़िल की है, इस लिये कि उस की आयत पर गौर करें और साहिबे अक़ल लोग इस को बयान करें और सूर ए मोमिनून की 68 वी आयते शरीफ़ा आया उन्होंने इस बयान पर गौर नहीं किया है या उन की तरफ़ कोई नई चीज़ नाज़िल हुई है जो उन के आबा व

अजदाद की तरफ़ पहले कभी नाज़िल नहीं हुई थी। उन आयात के मअना क्या होंगे?

मुसल्लेमा अहादीस जो पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) से हम से पहुँची हैं और लोगों को उन (पर ग़ौर व फ़िक्र करने) की ताकीद और वसीयत की गई है कि मुश्किलात व इख़्तिलाफ़ात पेश आने पर कुरआन मजीद की तरफ़ रुजू करें, उन का असर क्या होगा?

बुनियादी तौर पर इस तरीक़े की बेना पर कुरआने मजीद पर ग़ौर व फ़िक्र करने का मसला जो बहुत सी आयात के मुताबिक़ एक उम्मी फ़र्ज़ है, क्या इस के कुछ मअना नहीं हैं?

इसी तरह आम तरीक़े से पैग़म्बर अकरम (स) की अहादीस में और ख़ास तरीक़े से, (अख़बारे मुतावातिर) जो पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) की तरफ़ से अहादीस को किताबुल्लाह (कुरआन) की तरफ़ रुजू करने में फ़र्ज़ हुआ है, इल अहादीस के मुताबिक़ हदीस को कुरआने मजीद के मुताबिक़ होना चाहिये, अगर मुताबेक़त करे तो उस पर अमल होना चाहिये अगर मुख़ालिफ़ हो तो उस को रद्द करना चाहिये।

ज़ाहिर है कि इन अहादीस का मज़मून उसी वक़्त ठीक होगा जब कुरआनी आयात अपने मदलूल (मअना) पर दलालत करती हो और उस मदलूल का मा हसल, जो हक़ीक़त में आयत की तफ़सीर है, काबिल ऐतेमाद हो और अगर ऐसा हो कि आयत के मअानी के मा हसल यानी तफ़सीर को खुद हदीस तशकील दे। (कि ठीक है या नहीं) तो इस सू़रत में किताब (कुरआन) की तरफ़ रुजू करने और हासिल शुदा मअानी ठीक और सही नहीं होंगें।

यह अहादीस बेहतरीन गवाह हैं कि कुरआने मजीद की आयात पूरे कलाम की तरह मअानी पर दलालत करती है और रिवायात के अलावा भी मुस्तक़िल तौर पर हुज्जत हैं।

पस जो चीज़ पिछली बहसों से वाज़ेह होती है वह यह है कि एक मुफ़स्सिर का फ़र्ज़ यह है कि पैग़म्बर अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) की उन अहादीस पर ग़ौर व ख़ौज़ करे जो कुरआने मजीद की तफ़सीर में दाख़िल हो गई हैं और उन के तरीक़ों से आशना हों। उस के बाद कुरआन व सुन्नत की रौशनी में कुरआने मजीद की तफ़सीर करें और उन अहादीस व रिवायात को जो आयत के मज़मून के मुताबिक़ हों, सिर्फ़ उन्हीं पर अमल करें।

20. कुरआन से कुरआन की तफ़सीर का नमूना

खुदावंदे आलम अपनी किताब में कई जगह फ़रमाता है कि हर चीज़ का पैदा करने वाला खुदा है। (सूर ए जुमर आयत 65) जिस चीज़ों को शय या चीज़ कहा जाता है वह खुदा के अलावा है। यही मज़मून कुरआने मजीद में चार बार आया है और उस के लिहाज़ से जो चीज़ भी दुनिया में मखलूक फ़र्ज़ की जाये वह खुदा ने ही पैदा की है और उस की ज़िन्दगी भी खुदा से वाबस्ता है।

अलबत्ता इस नुक्ते को भी नही भूलना चाहिये कि कुरआने मजीद सैकड़ों आयात में इल्लत व मालूम की तसदीक करता है और हर फ़ाइल के फ़ेल को खुदा उस के फ़ाइल से निस्बत देता है। चीज़ों से असरात को जैसे आग के जलाने, ज़मीन से खेती उगाने, आसमान से बारिश बरसाने और ऐसे ही दूसरे आमाल, जो इंसान के इख्तियारी फ़ेल हैं उन को इंसान से मंसूब करता है।

नतीजे के तौर पर हर काम को अंजाम देने वाला शख्स इस काम का साहिब या मालिक है लेकिन ज़िन्दगी देने वाला और हर चीज़ को पैदा करने वाला, हकीकी साहिबे कार सिर्फ़ खुदा ही है और बस,

अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक और आफरिनिश को उम्मीयत देने के बाद, फ़रमाता है कि वह खुदा जिसने हर चीज़ को बहुत ख़ूब सूरत पैदा किया है, मुनदर्जा बाला आयात के इंज़ेमाम के मुताबिक़, ख़ूब सूरती के अलावा और कोई सिफ़त नहीं रखती। (हर चीज़ ज़ेबा और ख़ूब सूरत है)

और इस नुक्ते से भी गाफ़िल नहीं होना चाहिये कि कुरआने मजीद बहुत ज़्यादा आयात में अच्छाई को बुराई के मुक़ाबले में और फ़ायदे को नुक़सान के मुक़ाबले में और उसी तरह अच्छे को बुरे के मुक़ाबले में और ख़ूब सूरत को बदसूरत के मुक़ाबले में बयान करता है।

और बहुत से कामों, मज़ाहिर कुदरत को अच्छा और बुरा कह कर पुकारता है लेकिन हकीकत में यह बुराईयाँ आपस में मुक़ाबला करने से पैदा होती हैं लिहाज़ा इन का वुजूद क़यासी और निसबी है न कि नफ़सी (ज़ाती)। जैसे साँप और बिछ्छू बुरे जानवर हैं लेकिन इंसानों और हैवानात की बनिस्बत, जिन को उन के डंकों से नुक़सान पहुंचता है न कि पत्थर और मिट्टी की बनिस्बत, तलख़ मज़ा और मुर्दार की बदबू काबिले नफ़रत है लेकिन इंसान के ज़ायक़े और सूघने की बनिस्बत न कि किसी दूसरी चीज़ की। बाज़ अख़लाक़ और किरदार भी बुरे हैं लेकिन इंसानी

समाज की अर्थ व्यवस्था की बनिस्बत न कि हर निज़ाम की बनिस्बत और न ही समाजी निज़ाम से अलग हो कर।

हाँ तो अगर मुक़ाबले और निस्बत से चश्म पोशी कर ली जाये तो इस सूरत में हर चीज़, जिस चीज़ को भी देखेंगे, ख़ूब सूरती, हैरत अंगेज़ और चौंधिया देने वाले अजीब करिश्मों के सिवा कुछ नज़र नहीं आयेगा और इस दुनिया का ख़ूब सूरत जलवा इंसानी बयान और तारीफ़ से बाहर हैं क्योंकि ख़ुद तारीफ़ और बयान भी। इसी दुनिया का हिस्सा हैं।

दर हकीकत इस आयत की मक़सद यह है कि लोगों को बुराईयों से हटा कर सिर्फ़ ख़ूबियों और अच्छाईयों की तरफ़ मायल करें और कुल्ली और उमूमी तौर पर ज़हनों को अरास्ता कर दे।

इस तालीम को हासिल करने के बाद हम सैकड़ों कुरआनी आयात का मुशाहिदा करते हैं कि अपने भिन्न भिन्न के बयानात के ज़रिये इस दुनिया की मौजूदात को अलग अलग, गिरोह गिरोह, जुज़ई और कुल्ली निज़ामों को जिन के मुताबिक़ वह हुकूमत करते हैं ख़ुदा वंदे आलम की निशानियों के तौर पर तआरुफ़ कराते हैं और

अगर उन पर गहराई से गौर व फिक्र करें तो वह अल्लाह तआला का रास्ता दिखाने वाली हैं।

पिछली दो आयतों के पेशे नज़र हमें यह मालूम होता है कि यह अदुभुत ख़ूब सूरती जो सारी दुनिया को घेरे हुए है वही ख़ुदाई ख़ूबसूरती जो आसमान व ज़मीन की निशानियों के ज़रिये दिखाई देती है और इस दुनिया के तमाम अजज़ा एक ऐसा दरिचा हैं जिन से दिलनशीन और असीमित फ़ज़ा बाहर निकलती है लेकिन यह अजज़ा ख़ुद व ख़ुद कोई चीज़ नहीं है।

इस तरह कुरआने मजीद दूसरी आयात में हर कमाल और जमाल को ख़ुदा वंदे आलम से मुत्तअल्लिक़ शुमार करता है जैसा कि इरशाद होता है कि वह (ख़ुदा) ज़िन्दा है उस के अलावा कोई ख़ुदा नहीं है। (सूर ए मोमिन आयत 65), समस्त ताक़त और शक्ति अल्लाह के लिये हैं। (सूर ए बक्ररह आयत 165), वास्तव में सारी इज़ज़तें ख़ुदा को जचती हैं। (सूर ए निसा आयत 139) या सूर ए रूम की 54 वी और सूर ए इसरा की पहली आयतें के मअना के अनुसार या सूर ए ताहा की 8 वी के अनुसार ख़ुदा वह है जिस के बग़ैर और कोई ख़ुदा नहीं है, हर अच्छा नाम उसी का है। इन आयतों के अनुसार सारी ख़ूबसूरतियाँ जो इस दुनिया में पाई जाती

हैं उन सब की हकीकत खुदा वंद की तरफ़ से है लिहाज़ा दूसरों के लिये सिर्फ़ मजाज़ी और वक़्ती हैं।

इस बयान की ताईद में कुरआने मजीद एक और बयान के ज़रिये वज़ाहत करता है कि दुनिया के हर मज़हर में जमाल व कमाल महदूद और सीमित है हैं और खुदा वंद तआला के लिये ना महदूद और असीमित। हमने हर चीज़ को एक खास अंदाज़े के साथ पैदा किया है। (सूरए क़मर आयत49), हर चीज़ हमारे सामने एक खज़ाने है, हम ने इस खज़ाने को बग़ैर एक मुअय्यन अंदाज़े के जमीन पर नहीं भेजते। (सूर ए हिज़्र आयत 21)

इंसान इस कुरआनी हकीकत को क़बूल करने से अचानक अपने आप को एक ना महदूद जमाल व कमाल के सामने देखेगा कि हर तरफ़ से उस को घेर हुए है और उस के मुक़ाबले में किसी क़िस्म का ख़ला नहीं पाया जाता है और हर जमाल व कमाल और हत्ता कि अपने आप को जो कि खुद उन्ही आयतों (निशानियों) में से एक है, भूल कर उसी (खुदा) का आशिक़ हो जायेगा। जैसा कि इरशाद होता है कि जो लोग खुदा पर ईमान लाये हैं वह खुदा की निस्बत ज़्यादा महर व मुहब्बत रखते हैं। (सूर ए बक़रह आयत 165)

और यही वजह है कि चूँकि महर व मुहब्बत का खास्सा है अपने इस्तिकलाल और इरादे को खुदा के सामने तसलीम करते हुए खुदा की कामिल सर परस्ती के तहत चला जाता है।

चुँनाचे अल्लाह तआला फ़रमाता है कि खुदा मोमिनों का सर परस्त और वली है। (सूर ए आले इमरान आयत 68) और अल्लाह तआला ने भी जैसा कि वादा किया है, खुद इंसानों की रहबरी और क़यादत करता है। खुदा मोमिनों का सरपरस्त है और उन को अंधेरो से निकाल कर रौशनी की तरफ़ रहनुमाई करता है। (सूर ए बकरह आयत 257)

और इस आयते करीमा के अनुसार, आया वह शख्स मर गया था जो हम ने उस को ज़िन्दा किया और उसको नूर और रौशनी दिखाई कि वह उस रौशनी के साथ लोगों के दरमियान चलता फिरता है (सूर ए इनआम आयत 122) और इस आयत के मुताबिक़ और खुदा ने उस के दिलों में ईमान को कायम और साबित कर दिया है और उन को अपनी रूह या ईमान से मदद दी है। उन को एक नई रूह और नई ज़िन्दगी बख़शता है और एक नूर यानी खास हकीकत बिनी का मलका उस को अता कर देता है ता कि सआदत मंदाना ज़िन्दगी को समाज में तशखीस दे। (सूर ए मुजादला आयत 22)

और दूसरी आयते शरीफ़ा इस नूर को हासिल करने के बारे में वज़ाहत करती है, ऐ ईमान वालो, परहेज़गार बनो और खुदा के पैग़म्बर पर ईमान लाओ ताकि खुदावंदे तआला अपनी रहमत से तुम्हे दुगुना दे और तुम्हारे लिये नूर लाये ताकि तुम उस नूर के साथ राह पर चलो। (सूर ए हदीद आयत 28)

और पैग़म्बरे अकरम (स) पर ईमान लाने को दूसरी आयात में उन के सामने सरे तसलीम ख़म करने और उन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है जैसा कि इरशाद होता है कि ऐ नबी कह दीजिये कि अगर तुम्हे खुदा से मुहब्बत है तो मेरी पैरवी करो ता कि खुदा तुम से मुहब्बत करे। पैरवी और इताअत की बुनियाद एक दूसरी आयते शरीफ़ा में वज़ाहत फ़रमाता है। जो लोग इस पैग़म्बर की इताअत और पैरवी करते हैं जो उम्मी है और जो कोई तौरैत और इंजील में लिखे हुए सुबूत को पैदा करना चाहता है, तौरैत और इंजील में भी इस (नबी) का ज़िक्र आया है उन को अच्छी बातों का तरफ़ दावत देता है और बुरी बातों से मना करता है और इसी तरह पाक चीज़ों को उन के लिये हलाल और नापाक और पलीद चीज़ों को उन के लिये हराम करता है और उन से सख़्तियों और हर किस्म की पाबंदियों को दूर करता है यानी उन को आज़ादी बख़्शता है। (सूर ए आराफ़ आयत 157)

पैरवी और इताअत के बारे में उस से भी वाज़ेह तर बयान एक और आयते शरीफ़ा में जो पहली आयत की तफ़सीर भी करती है और उसे वाज़ेह भी करती है, अपने चेहरों को दीन के लिये मज़बूत रखो, ऐतेदाल की हालत में रहो, दीन में ऐतेदाल के साथ साबित क़दम रहो, यह खुदा की फ़ितरत है जिस पर इंसानों को पैदा किया गया है (उसी पर साबित क़दम रहो) खुदा की फ़ितरत में कोई तब्दीली नही है, यही वह दीन है जो इंसानी समाज का बखूबी इंतेज़ाम कर सकता है। (सूर ए रूम आयत 30)

इस आयते शरीफ़ा के मुताबकि इस्लाम का मुकम्मल प्रोग्राम फ़ितरत के तकाज़ों पर मबनी है दूसरे अल्फ़ाज़ में ऐसी शरीयत और क़वानीन है जिन की तरफ़ इंसानी फ़ितरत रहनुमाई करती है। (यानी एक कुदरती और फ़ितरी इंसान की फ़ितरी ज़िन्दगी तमाम बुराईयों से पाक हो।) जैसा कि एक जगह पर इरशाद होता है कि मुझे क़सम है इंसानी नफ़स की जो अपने क़माल में पैदा किया गया है लेकिन इस को शर का इलहाम भी दिया गया है, इन आयात की क़सम जिस ने अपने नफ़स को गुनाहों से पाक रखा यक़ीनन गुनाहों से निजाता पैदा करेगा और जिस ने नफ़स को गुनाहों से आलूदा किया वह यक़ीनन घाटे में रहेगा। (सूर ए शम्स आयत 7,10)

कुरआने मजीद वाहिद आसमानी किताब है जो सब से पहले इंसानी सआदत मंदाना ज़िन्दगी को फ़ितरी और पाक इंसान की ज़िन्दगी को बे लाग ज़िन्दगी के बराबर समझती है और दूसरे तमाम तरीकों के खिलाफ़ जो इंसान की खुदा परस्ती (तौहीद) के प्रोग्राम को ज़िन्दगी के प्रोग्राम से जुदा और अलग करते हैं, दीन के प्रोग्राम को ही ज़िन्दगी का प्रोग्राम कहती है और इस तरह इंसान के तमाम इंफ़ेरादी और समाजी पहलू में मुदाखिलत करते हुए हकीकत बिनी पर मबनी, (खुदा परस्ती और तौहीद) अहकाम को जारी करती है। दर अस्ल अफ़राद को दुनिया और दुनिया को अफ़राद के हवाले करती है और दोनो को खुदा के हवाले। कुरआने मजीद खुदा के बंदों और अवलिउल्लाह के लिये उन के यकीन और ईमान के मुताबिक़ बहुत ज़्यादा मानवी ख़वास का ज़िक्र करता है। जिस का बयान इस बाब में समा नहीं सकता।

21. पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्मा (अ) के बयानात के हुज्जत होने के मअना

कुरआन मजीद के अपने सबूत के मुताबिक़ पैग़म्बरे अकरम (स) और आप के अहले बैत (अ) का बयान जैसा कि पिछले बाबों में आया है कुरआनी आयात की

तफ़सीर में हुज्जत रखता है। यह हुज्जत पैग़म्बरे अकरम (स) और आईम्म ए अहले बैत (अ) की ज़बानी वाज़ेह बयान के मुतअल्लिक है और ऐसे ही अहादीसे क़तईउस सुदुर में इन के बयातान वाज़ेह तौर पर आये है लेकिन गे कतई हदीस जिस हदीस को इस्तेलाह में ख़बरे वाहिद कहते हैं और इस का सबूत मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ़ हैं, वह उस शख्स की राय पर मबनी है जो कुरआन की तफ़सीर करता है। अहले सुन्नत के दरमियान एक तौर से ख़बरे वाहिद जिस को हदीसे सही कहा जाता है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं और शियों के दरमियान जिस चीज़ को, जो अब इल्मे उसूल के ज़रिये साबित और मुसल्लम हैं यह है कि ख़बरे वाहिद जो काबिले ऐतेबार तरीके से जारी हुई हो अहकामे शरई में हुज्जत है और अगर इस के ख़िलाफ़ हो तो इस पर यक़ीन नहीं किया जा सकता। इस मसले में तहक़ीक़ करने के लिये इल्मे उसूल की तरफ़ रूजू करना चाहिये।

नोट:

इस बेना पर कि तफ़सीर के मअना आयत से हासिल शुदा मअना ही हैं और इस बहस को तफ़सीर बहस भी कहा जाता है आयत के हासिल शुदा मअना में तासीर रखती हो, लेकिन वह बहसों जो आयत से हासिल शुदा मअना में असर नहीं

रखती जैसे बाज़ लुग़वी, कराअती, बदीई मबाहिस वगैह इस किस्म की बहसें कुरआन की तफ़सीर नहीं हो सकतीं।

कुरआने मजीद की वही (अल्लाह का संदेश)

अ. कुरआने मजीद की वही (अल्लाह का संदेश) को बारे में मुसलमानों का आम अक़ीदा

ब. वही और नबुव्वत के बारे में मौजूदा लिखने वालों की राय

स. खुद कुरआने मजीद इस बारे में क्या फ़रमाता है:

1. अल्लाह का कलाम
2. जिबरईल और रुहुल अमीन
3. फ़रिशते और शैतान

4. ज़मीर की आवाज़

5. दूसरी वज़ाहत के मुतअल्लिक

ह. खुद कुरआने मजीद वही और नबुव्वत के बारे में क्या फ़रमाता हैं:

1. आम हिदायत और इंसानी हिदायत

2. राहे ज़िन्दगी तय करने में इंसानी विशेषताएँ

3. इंसान किस लिहाज़ से समाजी है?

4. इख़्तिलाफ़ात का पैदा होना और क़ानून की ज़रूरत

5. क़ानून की तरफ़ इंसान की हिदायत और रहनुमाई करने के लिये अक़ल काफ़ी नहीं है।

6. इंसानी हिदायत का अकेला रास्ता वही (अल्लाह की ओर से आने वाला संदेश) है।

7. मुश्किलात और उन के जवाबात

8. वही का रास्ता हर तरह से ग़लती और ख़ता से ख़ाली है।

9. हमारे लिये वही की वास्तविकता ना मालूम है।

10. कुरआन की वही की कैफ़ियत

अ. कुरआने मजीद की वही के बारे में मुसलमानों का आम

अक़ीदा

कुरआने मजीद ने तमाम दूसरी इलहामी और पवित्र किताबों जैसे तौरत और इंजील आदि से ज़्यादा आसमानी वही, वही भेजने वाले और वही लाने वाले के बारे में लिखा है और यहाँ तक कि वही की कैफ़ियत के बारे में भी लिखा है।

मुसलमानों का आम अक़ीदा अलबत्ता अक़ीदे की बुनियाद वही कुरआने मजीद का ज़ाहिरी पहलू है। कुरआन के बारे में यह है कि कुरआने मजीद अपने बयान के अनुसार अल्लाह का कथन है जो एक बड़े फ़रिश्ते के ज़रिये जो आसमान का रहने वाला है, नबी ए इस्लाम पर नाज़िल हुआ है।

उस फ़रिश्ते का नाम जिबरईल और रुहुल अमीन है जिस ने अल्लाह के कथन को तेईस वर्ष की ज़माने में धीरे धीरे इस्लाम के दूत तक पहुंचाया और उस के अनुसार आँ हज़रत (स) को ज़िम्मेदारी दी कि वह आयतों के लफ़्ज़ों और उस के अर्थ को लोगों के सामने तिलावत करें और उस के विषयों और मतलब को लोगों को समझाएँ और इस तरह अक़ीदे की बातें, समाजी और शहरी क़ानून और इंसानों की अपनी ज़िम्मेदारियों को, जिन ज़िक्र कुरआने मजीद करता है, उस की तरफ़ दावत दें।

अल्लाह के इस मिशन का पैग़म्बरी और नबुव्वत है। इस्लाम के नबी ने भी इस दावत में बिना किसी दख़ल और कमी बेशी और रिआयत के अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया।

ब. वही और नबुवत के बारे में मौजूदा लिखने वालों का राय

अक्सर मौजूदा दौर के लेखक, जो विभिन्न मज़हबों और धर्मों के बारे में तहकीक़ में कर रहे हैं, उन की राय कुरआनी वही और नबुवत के बारे में इस तरह हैं:

पैग़म्बरे अकरम (स) समाज के बहुत ही ज़हीन इंसान थे जो इंसानी समाज को इहेतात, वहज़त गरी और ज़वाल से बचाकर उस को तमदुन और आज़ादी के गहवारे में जगह देने के लिये उठ खड़े हुए थे ताकि समाज को अपने पाक और साफ़ विचार की तरफ़ यानी एक जामें और मुकम्मल दीन की तरफ़ जो आपने खुद मुरत्तब किया था, दावत दे।

कहते हैं कि आप बुलंद हिम्मत और पाक रुह के मालिक थे और एक तीरा व तारीक माहौल में ज़िन्दगी बसर करते थे। जिसमें सिवाए ज़बरदस्ती, जुल्म व सितम, झूठ और हरज मरज के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी और खुद गर्ज़ी, चोरी, लूटपाट और दहशतगर्दी के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आप हमेशा इन हालात से दुखी होते थे और जब कभी बहुत ज़्यादा तंग आ जाते थे तो लोगों से अलग होकर एक गुफ़ा में जो तिहामा के पहाड़ों में थी कुछ दिनों तक अकेले रहते थे और आसमान, चमकते हुए तारों, ज़मीन, पहाड़, समुन्दर और

सहरा आदि जो प्रकृति के रूप हैं जो इंसान के वश में किये गये हैं, उन की तरफ टुकटुकी बाँध कर देखते रहते थे और इस तरह इंसान की गफलत और नादानी पर अफसोस किया करते थे जिसने इंसान को अपनी लपेट में ले रखा था ताकि उसे इस कीमती जीवन की खुशियों और सफलताओं से दूर करके उन को दरिन्दों और जानवरों की तरह गिरी हुई ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर करे दे।

पैगम्बरे इस्लाम (स) लगभग चालीस साल तक इस हालत को अच्छी तरह समझते रहे और मुसीबत उठाते रहे, यहाँ तक कि चालीस साल की उम्र में एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाने में कामयाब हो गये ताकि इंसान इन बुरे हालात से निजात दिलाएँ जिसका नतीजा हैरानी, परेशानी, आवारगी, खुदगर्जी और बे राहरवी था और वह दीने इस्लाम था जो अपने ज़माने की आलातरीन और मुनासिब तरीन हुकूमत थी।

पैगम्बरे अकरम (स) अपने पाक विचार को खुदा का कलाम और खुदा की वही तसव्वुर करते थे कि खुदा वंदे आलम ने आप की पाक फ़ितरत रुह के ज़रिये आप से हमकलाम होता था और अपनी पाक और ख़ैर ख़्वाह रुह को जिस से यह अफ़कार निकलते थे आप के पाक दिल में समा जाते थे और उस को रुहुल अमीन जिबरईल, फ़रिशत ए वही कहते हैं। कुल्ली तौर पर ऐसी कुव्वतें जो ख़ैर और हर

क्रिस्म की खुशबख्ती की तरफ़ दावत देती है उनको मलाएका और फ़रिश्ते कहा जाता है और वह कुव्वतें जो शर और बदबख्ती की तरफ़ दावत देती हैं उन को शयातीन और जिन कहा जाता है। इस तरह पैग़म्बरे अकरम (स) ने अपने फ़रायज़ को नबुव्वत और रिसालत का नाम दिया, जो जमीर की आवाज़ के मुताबिक़ थे और उन के अनुसार इंसानों को इंक़ेलाब की दावत देते थे।

अलबत्ता यह वज़ाहत उन लोगों की है जो इस दुनिया के लिये एक ख़ुदा के अक़ीदे के कायल हैं और इंसाफ़ की रु से इस्लाम के दीनी निज़ाम के लिये महत्व के कायल हैं लेकिन वह लोग जो इस दुनिया के लिये किसी पैदा करने का अक़ीदा नहीं रखते हैं वह नबुव्वत, वही, आसमानी फ़रायज़, सवाब, अज़ाब, स्वर्ग और नर्क़ जैसी बातों को धार्मिक राजनिती और दर अस्ल मसलहत आमेज़ झूठ समझते हैं।

वह कहते हैं कि पैग़म्बर इस्लाह पसंद इंसान थे और उन्होने दीन की सूरत में इंसानी समाज की भलाई और बेहतरी के लिये क़वानीन बनाए और चूँकि गुज़िश्ता ज़माने के लोग जिहालत और तारीकी में गर्क़ और तवहहुम परस्ती पर मबनी अक़ीदों के साए में मबदा और क़यामत को महफूज़ रखा है।

खुद कुरआन मजीद इस के बारे में क्या फ़रमाता है?

जो लोग वही और नबुव्वत की तंज़ीम को गुज़िश्ता बयान के मुताबिक तौजीह करते हैं वह ऐसे दानिशवर हैं जो माद्दी और तबीईयाती उलूम के साथ दिलचस्बी और मुहब्बत रखते हुए जहाने हस्ती की हर एक चीज़को फ़ितरी और कुदरती क़वानीन की इजारा दारी में ख़याल करते हैं और आख़िरी ग़िरोहे हवादिस की बुनियाद को भी फ़ितरी फ़र्ज़ करता है। इस लिहाज़ से मजबूरन आसमानी मज़ाहिब और अदयान को ही इजतेमाई मज़ाहिर समझेंगे और इस तरह तमाम इजतेमाई मज़ाहिर से जो नतीजा हासिल होगा उस पर ही परखेंगे। चुँनाचे अगर इजतेमाई नवाबिग (ज़हीन इंसान) में से कोई एक जैसे कौरवश, दारयूश, सिकन्दर वगैरह अपने आप को ख़ुदा की तरफ़ से भेजा हुआ और अपने कामों को आसमानी मिशन और अपने फ़ैसलों को ख़ुदाई फ़रमान को तौर पर तआरुफ़ कराएँ तो गुज़िश्ता बाब में आने वाली बहस के अलावा और कोई वज़ाहत नहीं हो सकेगी।

हम इस वक़्त यहाँ दुनिया ए मा वरा को साबित नहीं करना चाहते और उन दानिशवरों को भी नहीं कहते कि हर इल्म सिर्फ़ अपने इर्द गिर्द को मौजूआत पर ही राय दे सकते हैं और माद्दी उलूम जो माद्दे के आसार और ख़वास से बारे में बहस करते हैं वह यक़ीनी या ग़ैर यक़ीनी तौर पर मा वरा में मुदाख़लत रखते हैं।

फेहरीस्त

इस्लाम में कुरआन	1
मुसलमानों के दरमियान कुरआने मजीद की क्या अहमियत है?	2
दूसरा मुफ़स्सल बयान	3
कुरआने मजीद हक़ीक़ी इस्लाम की बुनियादों को तीन हिस्सों में तक़सीम करता है	19
ब. कुरआने मजीद नबूवत की सनद है।	20
कुरआने मजीद की तालीम के मुतअल्लिक	25
1. कुरआने मजीद एक आलमी किताब है।	27
2. कुरआने मजीद एक कामिल व मुकम्मल किताब है	30
3. कुरआने मजीद ता अबद और हमेशा बाक़ी रहने वाली किताब है।	32
4. कुरआने मजीद खुद ही अपना सुबूत है।	35
5. कुरआन ज़ाहिरी और बातिनी पहलू रखता है।	39
6. कुरआने मजीद ने क्यों दो तरीक़ों यानी ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर बयान फ़रमाया है?	44

7. कुरआने मजीद में मोहकम व मुतशाबेह मौजूद है	51
8. मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में मोहकम और मुतशाबेह के मअानी	54
9. कुरआन की मोहकम और मुतशाबेह आयात के बारे में आईम्म ए अहले बैत (अ) के नज़रियात.....	60
10. कुरआने मजीद तावील व तंज़ील रखता है	64
11. मुफ़स्सेरीन और उलामा की नज़र में तावील के मअना	66
12. कुरआने मजीद की इस्तेलाह में तावील के क्या मअना है?	72
13. कुरआने मजीद नासिख और मंसूख का इल्म रखता है।(1).....	79
14. कुरआने मजीद में जर्य और इंतेबाक	83
15. कुरआने मजीद के अल्फ़ाज़ की तफ़सीर, उस की शुरुवात और तरक्की	85
16. तफ़सीर का इल्म और मुफ़स्सेरीन के तबकात.....	86
17. शिया मुफ़स्सेरीन और उनके मुख्तलिफ़ तबकात का तरीक़ ए कार.....	92
18. खुद कुरआने मजीद कैसी तफ़सीर कबूल करता है?	95
19. बहस का नतीजा	105
आया रिवायात और अहादीस की तरफ़ रुजू करना चाहिये?.....	107
20. कुरआन से कुरआन की तफ़सीर का नमूना	111

21. पैगम्बरे अकरम (स) और आईम्मा (अ) के बयानात के हुज्जत होने के मअना	119
नोट:	120
कुरआने मजीद की वही (अल्लाह का संदेश).....	121
अ. कुरआने मजीद की वही के बारे में मुसलमानों का आम अक्रीदा	123
ब. वही और नबुव्वत के बारे में मौजूदा लिखने वालों का राय	125
फेहरीस्त	129